



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012026-269031
CG-DL-E-02012026-269031

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02।

No. 02।

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2026/पौष 11, 1947

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2026/PAUSAH 11, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2026

संख्या 01/2026- एचएसएनएस उपकर

सा.का.नि. 02(अ).— केन्द्र सरकार, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 (2025 का 35) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर नियम, 2026 है।
(2) ये 1 फरवरी, 2026 को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
(क) "अधिनियम" से स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 (2025 का 35) अभिप्रेत है।
(ख) "पोर्टल" से cbic-gst.gov.in पर सुलभ पोर्टल अभिप्रेत है।

- (ग) "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" से एक व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (2) इन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम या अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में हैं।

3. अधिकारियों की नियुक्ति और अधिकारिता. — (1) बोर्ड, आदेश द्वारा, ऐसे अधिकारी को नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित अधिकारी के रूप में उपयुक्त समझता है, जिसे ऐसी शक्तियां सौंपी जाएंगी या ऐसे कार्य सौंपे जाएंगे जो उसके अधीन विविन्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) बोर्ड, आदेश द्वारा, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त, आयुक्त या आयुक्त (अपील), या आयुक्त (लेखापरीक्षा) के अधिकारिता को विविन्दिष्ट कर सकता है।

(3) एक उचित अधिकारी अधिनियम या इन नियमों के अधीन प्रदत्त या सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है।

अध्याय II

रजिस्ट्रीकरण

4. रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन - (1) धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति, उक्त प्ररूप में विविन्दिष्ट दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर प्ररूप एचएसएनएस रेग-01 जमा करके रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा:

परंतु यह कि एक से अधिक कारखानों में स्थापित मशीनों का स्वामित्व, कब्जे, पट्टे या नियंत्रण एक कर योग्य व्यक्ति के पास है, तो ऐसे प्रत्येक कारखाने के लिए प्ररूप एचएसएनएस रेग-01 में एक अलग आवेदन जमा किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने पर, एक अस्थायी रजिस्ट्रीकरण संख्या उत्पन्न की जाएगी और अधिसूचित की जाएगी ताकि कर योग्य व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अपेक्षित उपकर की देनदारी का निर्वहन करने में सक्षम बनाया जा सके, जब तक कि नियम 5 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता है।

5. आवेदन की स्वीकृति एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना- (1) समुचित अधिकारी आवेदन की जांच करेगा और आवेदन जमा करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा।

(2) यदि आवेदन में कोई कमी पाई जाती है, तो समुचित अधिकारी आवेदक को सूचित करेगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर देगा, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, समुचित अधिकारी संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करेगा या कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदन को अस्वीकार कर देगा।

(3) उप-नियम (1) में विविविन्दिष्ट अवधि के भीतर उचित अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर आवेदन स्वीकृत माना जाएगा।

(4) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए आवेदन स्वीकृत किया गया है, तो आवेदक को पोर्टल पर प्ररूप एचएसएनएस रेग-02 में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकृत होने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

6. धारा 8 की उपधारा(2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण रद्द करना - (1) इस अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2) के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने की मांग करने वाला एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की मांग के आधारों को सूचीबद्ध करते हुए उचित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का कोई बकाया नहीं है, वहां उप-नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उचित अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण के आवेदन को अनुमोदित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

7. धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का निरस्तीकरण - किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 8 की उप-धारा (3) में विविनिर्दिष्ट परिस्थितियों के अधीन उचित अधिकारी द्वारा उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित करके निरस्त किया जा सकता है।

8. रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण का निरसन - (1) कोई कर योग्य व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण नियम 7 के अधीन निरस्त किया गया है, वह नियम 7 के अधीन निरस्तीकरण आदेश प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर निरस्तीकरण के निरसन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। (2) जहां उचित अधिकारी संतुष्ट है कि पर्याप्त आधार मौजूद हैं, वह ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर निरस्तीकरण को निरस्त कर देगा और आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन दाखिल किए गए आवेदन से यदि समुचित अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है, तो वह आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, वह या तो निरस्तीकरण को रद्द कर देगा या आवेदन को अस्वीकार कर देगा और आवेदक को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

अध्याय III

घोषणा

9. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल की जाने वाली घोषणा - (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के सात दिनों के भीतर पोर्टल पर, इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपेक्षित अनुसार प्ररूप एचएसएनएस डीईसी-01 में एक घोषणा दाखिल करेगा।

(2) यदि उपकर की गणना के लिए सुसंगत मापदंडों में किसी भी परिवर्तन के या किसी मशीन या प्रक्रिया की स्थापना, जोड़ या प्रारंभ करने के मामले में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर एक नई घोषणा दाखिल करेगा।

10. घोषणा का सत्यापन - (1) नियम 9 के अधीन दाखिल घोषणा की प्राप्ति पर, उचित अधिकारी घोषणा का सत्यापन नब्बे दिनों के भीतर करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे-

(क) कारखाने का भौतिक निरीक्षण;

(ख) मशीन की अधिकतम रेटेड गति सहित मशीन के तकनीकी विनिर्देशों का फॉम एचएसएनएस सीई में सत्यापन; और

(ग) यदि आवश्यक समझा जाए तो किसी तीसरे पक्ष के तकनीकी विशेषज्ञ से परामर्श।

11. घोषणा की पुष्टि - (1) यदि नियम 9 के अधीन दाखिल घोषणा में कोई विसंगति नहीं पाई जाती है, तो उचित अधिकारी नियम 10 के अधीन सत्यापन की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर घोषणा की पुष्टि करते हुए और इस अधिनियम की धारा 5 और धारा 9 के अनुसार देय उपकर की गणना निर्धारित करते हुए एक आदेश पारित करेगा।

(2) जहां समुचित अधिकारी को नियम 9 के अधीन प्रस्तुत घोषणा में कोई विसंगति मिलती है जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय उपकर की गणना को प्रभावित करती है, तो वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसी विसंगति की सूचना देगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् नियम 10 के अधीन सत्यापन की तारीख से तीस दिनों से अधिक नहीं की अवधि के भीतर इस अधिनियम की धारा 5 और धारा 9 के अधीन देय उपकर की गणना की पुष्टि करने का आदेश पारित करेगा।

(3) नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन कोई नई घोषणा तब तक दायर नहीं की जाएगी जब तक इस नियम के अधीन उचित अधिकारी द्वारा एक पुष्टिकरण आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् की अवधि के लिए इस प्रकार निर्धारित उपकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उपकर की विभेदक राशि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा, यदि कोई हो, ब्याज के साथ, अवधि के लिए जो शुरू होती है-

(क) मशीन की स्थापना की तारीख या मैनुअल प्रक्रिया इकाई की शुरुआत, जहां घोषणा नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन दायर की जाती है; या

(ख) उपकर की गणना के लिए सुसंगत किसी पैरामीटर में परिवर्तन की तारीख, या किसी मशीन या प्रक्रिया की स्थापना, जोड़ या प्रारंभ की तारीख, जैसा भी मामला हो, जहां घोषणा नियम 9 के उपनियम (2) के अधीन दायर की जाती है,

ऐसी विभेदक राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक।

अध्याय IV

उपकर का भुगतान और वापसी

12. देय उपकर की गणना - (1) किसी विशेष माह के लिए देय उपकर की गणना अधिनियम की अनुसूची-2 में विविनिर्दिष्ट उपकर की प्रति मशीन या हस्तचालित प्रक्रिया इकाई की राशि के अनुसार की जाएगी:

परंतु यह भी कि, नव-रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के मामले में, पहले माह के लिए देय उपकर की गणना मशीन की स्थापना की तारीख या हस्तचालित प्रक्रिया इकाई की शुरुआत से शुरू होने वाले दिनों की कुल संख्या के अनुसार आनुपातिक आधार पर की जाएगी और ऐसा उपकर ऐसी स्थापना या शुरुआत के पांच दिनों के भीतर दिया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन उपकर की गणना के प्रयोजन के लिए किसी मशीन की अधिकतम निर्धारित गति को उस अधिकतम गति के रूप में लिया जाएगा जो मशीन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि फार्म एच.एस.एन.एस. डी.ई.सी.-01 में घोषित किया गया है और जैसा कि समुचित अधिकारी द्वारा पुष्टि की गई है, चाहे उस मशीन का उपयोग किसी भार के विविनिर्दिष्ट के निर्माण या उत्पादन के लिए वास्तविक परिचालन गति पर किया गया हो।

(3) जहां किसी मशीन का उपयोग एक महीने के दौरान अलग-अलग भार के विविनिर्दिष्ट माल के निर्माण या उत्पादन के लिए किया जाता है, वहां उस महीने के लिए उस मशीन के लिए देय उपकर की गणना अधिनियम की अनुसूची-2 में विविनिर्दिष्ट रूप से निर्मित या उत्पादित पाउच या टिन या कंटेनर के अधिकतम भार के संदर्भ में की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) के अधीन उपकर की गणना के प्रयोजन के लिए महीने के दौरान कारखाने में किसी मशीन के जुड़ने या लगाने या हटाने या अनइंस्टॉल करने की दशा में महीने के लिए लगाई गई मशीनों की संख्या को महीने के दौरान किसी भी दिन लगाई गई मशीनों की अधिकतम संख्या माना जाएगा।

13. भुगतान का तरीका - (1) विविनिर्दिष्ट वस्तुओं पर देय मासिक उपकर का भुगतान रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी महीने के 7वें दिन तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए देयता की गणना की जाती है:

परंतु जहां नियम 12 के उप-नियम (2), (3) या (4) के अनुसार माह के लिए देय उपकर की राशि में वृद्धि होती है, वहां उपकर की विभेदक राशि का भुगतान विविनिर्दिष्ट की अधिकतम निर्धारित गति या भार में परिवर्तन या मशीन के जोड़ या संस्थापन के पांच दिनों के भीतर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(2) यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-नियम (1) में विवि�निर्दिष्ट नियत तारीख या अवधि तक उपकर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 17 के अधीन विवि�निर्दिष्ट दर पर व्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करने के लिए, नियत तारीख के पश्चात् पहले दिन से शुरू होने वाली अवधि से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक उत्तरदायी होगा।

14. रजिस्ट्रीविवरणी दाखिल करना - (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अगले महीने के 20वें दिन या उससे पहले उक्त प्ररूप में विवि�निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर प्ररूप एचएसएनएस आरईटी-01 में मासिक रजिस्ट्रीविवरणी प्रस्तुत करना होगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीविवरणी दाखिल करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति मूल रजिस्ट्रीविवरणी दाखिल करने वाले कैलेंडर माह के अंत से पहले उक्त रजिस्ट्रीविवरणी में प्रस्तुत किसी भी गलत विवरण या चूक को सुधार कर सकता है:

परंतु जहां इस प्रकार के सुधार के परिणामस्वरूप मूल विवरणी में घोषित उपकर की अधिक देनदारी होती है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसे संशोधित विवरणी के प्रस्तुत करने की तारीख को या उससे पहले अधिनियम की धारा 17 के अधीन विविनिर्दिष्ट दरों पर व्याज के साथ उपकर की विभेदक राशि का भुगतान करेगा।

(3) जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नियत तारीख तक विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को उक्त नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की मांग करते हुए नोटिस जारी करेगा।

अध्याय V

उपशमन और गणना

15. उपशमन की शर्तें - (1) अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन उपशमन तब उपलब्ध होगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात् :-

(क) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, स्थापित मशीन या मैनुअल प्रक्रिया इकाई के किसी भी निरंतर अवधि के लिए पंद्रह दिन या उससे अधिक समय तक काम न करने से कम से कम तीन कार्य दिवस पहले उचित अधिकारी को सूचित करता है, मशीन को सील करने या मैनुअल प्रक्रिया इकाई को बंद करने का अनुरोध करता है, जैसा भी मामला हो;

(ख) पैकिंग मशीन या मैनुअल प्रक्रिया इकाई को उचित अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर इस तरह से सील कर दिया जाता है कि इसे संचालित नहीं किया जा सकता है;

(ग) सीलिंग की अवधि के दौरान उक्त मशीन या मैनुअल प्रक्रिया इकाई द्वारा विविनिर्दिष्ट के लिए कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं की जाती है, जैसा भी मामला हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन उपशमन के लिए पात्र कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपशमन का दावा करने के लिए, उस अवधि के पश्चात् के महीने की 20 तारीख को या उससे पहले उचित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए उपशमन का दावा किया गया है।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत किए गए दावे की पुष्टि करने पर समुचित अधिकारी ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर मशीन या मैनुअल इकाई के काम न करने की अवधि में सम्मिलित प्रत्येक महीने के लिए उपकर दायित्व के शमन की अनुमति देते हुए आदेश जारी करेगा, जिसे ऐसे आदेश के जारी होने के महीने के ठीक पश्चात् के महीने के लिए देय उपकर दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा:

परंतु शमन के दावे को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए “स्थापित मशीन” में एक प्रचालित मशीन अभिप्रेत है जो शमन की अवधि के दौरान अप्रचालित हो गई है।

16. शमन राशि का परिमाणीकरण. - एक महीने के लिए शमन की राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी:

ए = (सी/एन) × डी

जहां:

ए = छूट का दावा की गई राशि

सी = मशीन के लिए कुल उपकर देयता

एन = महीने में दिनों की कुल संख्या

डी = महीने में मशीन की निष्क्रिय रहने के दिनों की कुल संख्या

उदाहरण 1: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 2.5 ग्राम के 700 पाउच प्रति मिनट की पैकिंग गति वाली हाई स्पीड पाउच पैकिंग मशीन का उपयोग करके विविनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ है। अधिनियम की अनुसूची II के क्रमांक 2 के अधीन ऐसी मशीन के लिए मासिक उपकर देयता 2,02,00,000 रुपये है। मशीन 1 सितंबर से 19 सितंबर (दोनों दिन सम्मिलित) तक निष्क्रिय और सील रहती है और मशीन 20 सितंबर को डी-सील की जाती है। अभाटन का दावा करने के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा 20 अक्टूबर (जिस महीने में मशीन निष्क्रिय और सीलबद्ध थी उसके पश्चात् का महीना) तक दायर किया जा सकता है।

उपकर की छूट की राशि की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी: —

(i) **अप्रचालन का विवरण:**

महीने (सितंबर) में दिनों की कुल संख्या (एन): 30 मशीन के लगातार निष्क्रिय रहने के दिनों की संख्या (डी): 19 मशीन के लिए महीने में भुगतान की गई उपकर की राशि (सी): ₹ 2,02,00,000

(ii) छूट राशि की गणना (ए):

$$\text{ए} = (2,02,00,000/30) \times 19 = 1,27,93,333 \text{ रुपए}$$

(III) समायोजन: 1,27,93,333 रुपए की राशि को उचित अधिकारी द्वारा अक्टूबर में जारी किए गए आदेश में छूट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नवंबर के उपकर दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

दृष्टांत 2: एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 2.5 ग्राम के 700 पाउच प्रति मिनट की पैकिंग गति वाली हाई स्पीड पाउच पैकिंग मशीन का उपयोग करके विविनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ है। अधिनियम की अनुसूची II के क्रमांक 2 के अधीन ऐसी मशीन के लिए मासिक उपकर दायित्व ₹ 2,02,00,000 है। मशीन को 20 जुलाई को सील किया जाता है और 11 अगस्त को डीसील किया जाता है। निरंतर अप्रचालन की कुल अवधि 21 दिन (पंद्रह दिन से अधिक) है। अभाटन का दावा करने के लिए आवेदन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा 20 सितंबर तक (जिस महीने में मशीनें निष्क्रिय और सीलबद्ध थीं, उसके पश्चात् का महीना) दाखिल किया जा सकता है।

उपकर की छूट की राशि की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी: —

(i) जुलाई के लिए अप्रचालन का विवरण:

महीने में दिनों की कुल संख्या (जुलाई) (एन): 31

मशीन के महीने में लगातार निष्क्रिय रहने के दिनों की संख्या (डी): 12

मशीन के लिए महीने के लिए भुगतान की गई उपकर की राशि (सी): ₹ 2,02,00,000

(ii) जुलाई के लिए छूट राशि की गणना

$$(ए1): \text{ए}1 = (2,02,00,000/31) \times 12 = ₹ 78,19,355$$

(iii) अगस्त माह के लिए अप्रचालन का विवरण:

महीने (अगस्त) में दिनों की कुल संख्या (एन): 31

मशीन के अप्रचालित रहने के महीने में लगातार दिनों की संख्या (डी):

मशीन के लिए महीने के लिए भुगतान की गई उपकर राशि (सी): ₹ 2,02,00,000

(iv) अगस्त के लिए उपशमन राशि की गणना

$$(ए2): \text{ए}2 = (2,02,00,000/31) \times 9 = ₹ 58,64,516$$

(v) समायोजन: ₹ 1,36,83,871 (ए1+ए2) की राशि को उचित अधिकारी द्वारा अक्टूबर में जारी किए गए आदेश में छूट के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा नवंबर के उपकर दायित्व के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

17. सीलिंग और प्रचालन की बहाली - रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उचित अधिकारी को सील की गई मशीन या बंद मैनुअल प्रक्रिया इकाई, जैसा भी मामला हो, जिस पर वह प्रचालन फिर से शुरू करना चाहता है, उस तारीख से तीन कार्य दिवस पहले सूचित करेगा, जिसे उचित अधिकारी की भौतिक देखरेख में सील किया जाएगा।

अध्याय VI**लेखापरीक्षा**

18. लेखापरीक्षा. - (1) इस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन की जाने वाली लेखापरीक्षा की अवधि एक वित्तीय वर्ष या उसका भाग या उसके गुणक होगी।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की लेखापरीक्षा करने का निर्णय लिया जाता है, वहां उचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को लेखापरीक्षा करने से कम से कम पंद्रह दिन पहले एक नोटिस के माध्यम से सूचित करेगा।

(3) नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन विविनिर्दिष्ट अभिलेखों और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लेखा बही की लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत उचित अधिकारी, अपने साथ अधिकारियों और पदाधिकारियों की टीम की सहायता से, उन दस्तावेजों का सत्यापन करेगा जिनके आधार पर लेखा बही रखी जाती है और अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रस्तुत रजिस्ट्रीविवरणी और घोषणाएं, और अन्य सुसंगत मुद्दों और अपनी लेखापरीक्षा टिप्पणियों में टिप्पणियों को रिकॉर्ड करेगा।

(4) उचित अधिकारी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षा में देखी गई विसंगतियों के बारे में सूचित कर सकता है, यदि कोई हो, और ऐसा व्यक्ति अपना जबाब दाखिल कर सकता है और उचित अधिकारी दायर किए गए उत्तर पर उचित विचार करने के पश्चात् लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को अंतिम रूप देगा।

अध्याय VII

लेखा और अभिलेख

19. अभिलेखों का रखरखाव- (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 14 की उपधारा (2) में उल्लिखित विवरणों के अतिरिक्त, निम्नलिखित अभिलेखों और दस्तावेजों को उस कारखाने में रखेगा और बनाए रखेगा जहाँ विविनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अर्थात्:-

- (क) कारखाने में स्थापित सभी पैकिंग मशीनों के संबंध में खरीद चालान, प्रविष्टि के बिल या डिलीवरी चालान;
- (ख) पट्टे या किराए पर ली गई मशीनों के लिए पट्टा समझौते या किराया विलेख; और
- (ग) मशीनों में किए गए किसी भी संशोधन, मरम्मत या परिवर्तन के अभिलेख जो उनकी पैकिंग गति या क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं;
- (घ) वितरण कंपनी द्वारा जारी किए गए विजली बिल;
- (ङ) मुख्य कच्चे और पैकिंग सामग्री की प्राप्तियों और खपत का रिकॉर्ड;
- (च) विविनिर्दिष्ट वस्तुओं के दैनिक उत्पादन, निकासी और समापन स्टॉक का रिकॉर्ड;
- (छ) अपशिष्ट या स्कैप लैमिनेट के उत्पादन और निपटान का रिकॉर्ड;
- (ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बैलेंस शीट तथा लाभ और हानि खाता; और
- (झ) मशीन खरीद के लिए भुगतान को दर्शने वाले बैंक विवरण।

(2) उप-नियम (1) के अधीन सभी अभिलेख और दस्तावेज उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् से चौबीस महीने की अवधि के लिए रखे जाएंगे, जिससे ऐसे अभिलेख या दस्तावेज संबंधित हैं:

परंतु जहाँ किसी अपील प्राधिकारी, न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही लंबित है, वहाँ ऐसी कार्यवाही के विषय की अभिलेख ऐसी कार्यवाही के अंतिम निपटान के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के लिए या ऊपर विविनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो भी पश्चात् में हो, रखी जाएगी।

अध्याय VIII

अपराधों का शमन

20. अपराधों के शमन की प्रक्रिया। - (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, अभियोजन शुरू होने से पहले या पश्चात् में, इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसरण में उचित अधिकारी को अपराध के शमन के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, उचित अधिकारी आवेदन में प्रस्तुत विवरणों के संदर्भ में संबंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा, या कोई अन्य जानकारी, जिसे ऐसे आवेदन की जांच के लिए सुसंगत माना जा सकता है।

(3) उचित अधिकारी, उक्त आवेदन की विषय-वस्तु को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, या तो आवेदन को स्वीकार कर सकता है और उसे अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है या आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

परंतु आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर न दिया गया हो और आदेश में ऐसे अस्वीकृति के आधारों का उल्लेख न किया गया हो।

(4) जहां उप-नियम (3) के अधीन आवेदन की अनुमति दी गई है, उचित अधिकारी उप-नियम (3) के अधीन नीचे दी गई सारणीओं के अनुसार शमन राशि निर्धारित करेगा:-

सारणी क

क्रमांक	अपराध	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन दंडनीय होने पर शमन राशि	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय होने पर शमन राशि	धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन दंडनीय होने पर शमन राशि
(1)	(2)	(1)	(2)	(3)
1	अधिनियम की धारा 18(1)(ए) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध			
2	अधिनियम की धारा 18(1)(बी) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध	उपकर की चोरी की गई राशि या गलत तरीके से लिए गए उपकर की वापसी राशि का पचहत्तर प्रतिशत तक, परंतु कि उपकर की चोरी की गई राशि या गलत तरीके से लिए गए उपकर की छूट/वापसी राशि का न्यूनतम पचास प्रतिशत हो।	उत्पाद शुल्क की राशि का साठ प्रतिशत तक या उत्पाद शुल्क के गलत तरीके से लिए गए धन की वापसी की राशि, उत्पाद शुल्क की राशि के पचास प्रतिशत तक या उत्पाद शुल्क के गलत तरीके से लिए गए धन की वापसी की राशि।	चोरी की गई उपकर राशि का पचास प्रतिशत या गलत तरीके से ली गई उपकर वापसी राशि का पचास प्रतिशत।
3	अधिनियम की धारा 18(1)(सी) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध			
4	अधिनियम की धारा 18(1)(डी) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध			

सारणी ख

क्रमांक.	अपराध	शमन राशि
(1)	(2)	(3)
1	अधिनियम की धारा 18(1)(एफ) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध	
2	अधिनियम की धारा 18(1)(इ) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध	दस हजार रुपये या उपकर का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

3	अधिनियम की धारा 18(2) के अधीन विविनिर्दिष्ट अपराध	
---	---	--

(5) जहां व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध उपनियम (4) के अधीन ऊपर सारणी में विविनिर्दिष्ट एक से अधिक श्रेणियों के अधीन आते हैं, ऐसे मामले में, शमन राशि उस अपराध के लिए निर्धारित राशि होगी जिसके लिए अधिक शमन राशि विविनिर्दिष्ट की गई है।

(6) आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उस मामले के लिए, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उपकर, ब्याज और दंड का भुगतान नहीं किया गया है जो देय है।

(7) आवेदक, अपराधों के शमन की अनुमति देने वाले उप-नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उचित अधिकारी द्वारा आदेशित समझौते की राशि का भुगतान करेगा और उसे ऐसे भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(8) उप-नियम (7) में विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदक शमन राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उप-नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा।

(9) उप-नियम (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई प्रतिरक्षा, उचित अधिकारी द्वारा किसी भी समय वापस ली जा सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति ने समझौता कार्यवाही के दौरान किसी भी विवरण को छुपाया था या इसे साक्ष्य दिए थे, और इसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर उस अपराध के लिए वाद चलाया जा सकता है जिसके संबंध में प्रतिरक्षा दी गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए जो समझौता कार्यवाही के संबंध में उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं दी गई थी।

अध्याय IX

वस्तुओं की जब्ती

21. जब्त किए गए या मशीनों की रिहाई के लिए बांड और प्रतिभूति - (1) इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन जब्त किए गए माल या पैकिंग मशीनों को प्ररूप एचएसएनएस बीएनडी-01 में ऐसे या मशीनों के मूल्य के लिए बांड निष्पादित करने और लागू उपकर, ब्याज और दंड के देय राशि के बराबर बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर अनन्तिम आधार पर रिहा किया जा सकता है।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसे विविनिर्दिष्ट या मशीनें अनन्तिम रूप से रिहा की गई हैं, उचित अधिकारी द्वारा इंगित नियत तारीख और स्थान पर उक्त या मशीनें प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसी प्रतिभूति को नकदीकृत किया जाएगा और ऐसे या मशीनों के संबंध में देय उपकर, ब्याज, दंड और जुर्माना, यदि कोई हो, के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

22. नाशवान प्रकृति के जब्ती किए गए के संबंध में प्रक्रिया - (1) जहां धारा 24 के अधीन विविनिर्दिष्ट या मशीनें जब्त की गई हैं, और यदि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति विविनिर्दिष्ट या मशीनों के बाजार मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करता है, या उपकर, ब्याज और दंड की राशि जो कर योग्य व्यक्ति द्वारा देय है या हो सकती है, जो भी कम हो, ऐसे या, जैसा भी मामला हो, मशीनों को भुगतान के प्रमाण पर, एक आदेश द्वारा, तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त या मशीनों के संबंध में उप-नियम (1) में संदर्भित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, उचित अधिकारी ऐसे या मशीनों का निपटान कर सकता है और उससे प्राप्त राशि को ऐसे या चीजों के संबंध में देय उपकर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

अध्याय X

अपील और पुनरीक्षण

23. अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने की रीति - (1) धारा 29 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को अपील, सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्ररूप एचएसएनएस एपीएल-01 में दायर की जाएगी, जिसमें अपील के आधार और अपील किए गए निर्णय या आदेश सम्मिलित हैं। (2) अपील संख्या को इंगित करने वाली पावती, अपीलकर्ता को तुरंत अपीलीय प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी और पावती जारी करने की तारीख को अपील दायर करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां निर्णय या आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति अपील दायर करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां ऐसी प्रति प्रस्तुत करने की तारीख को अपील दायर करने की तारीख माना जाएगा।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को केवल तभी दायर माना जाएगा जब अपील संख्या को इंगित करने वाली पावती जारी की जाती है।

24. अपीलीय प्राधिकारी को अपील - (1) इस अधिनियम के अधीन पारित किसी निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित को अपील कर सकता है –

(क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा निर्णय या आदेश अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया है;

(ख) संयुक्त आयुक्त (अपील) के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी, जहां ऐसा निर्णय या आदेश उप या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया है, उस तारीख से तीन महीने के भीतर जिस तारीख को उक्त निर्णय या आदेश ऐसे व्यक्ति को सूचित किया गया है। (2) धारा 29 की उपधारा

(2) के अधीन निर्देशित कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए, निम्नलिखित को अपील कर सकता है –

(क) आयुक्त (अपील), जहां ऐसा निर्णय या आदेश अतिरिक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया है;

(ख) संयुक्त आयुक्त (अपील) के पद से नीचे का कोई भी अधिकारी जहां ऐसा निर्णय या आदेश उप या सहायक आयुक्त या अधीक्षक द्वारा पारित किया गया है, उक्त निर्णय या आदेश के संचार की तारीख से छह महीने के भीतर।

25. व्यक्ति को सूचना और पुनरीक्षण के मामले में पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश - (1) जहां पुनरीक्षण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन धारा 28 के अधीन पुनरीक्षण में कोई आदेश पारित करने का निर्णय लेता है जिससे व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे एक सूचना देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर देगा।

(2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ आदेश का सारांश स्पष्ट रूप से मांग की अंतिम राशि को इंगित करते हुए जारी करेगा।

26. अपील की वापसी - अपीलकर्ता धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने से पहले किसी भी समय दायर की गई किसी अपील के संबंध में उक्त अपील की वापसी के लिए आवेदन दायर कर सकता है:

परंतु जहां पावती जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपील प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन होगी और अपील की वापसी के लिए ऐसे आवेदन का फैसला अपील प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन दाखिल करने के सात दिनों के भीतर किया जाएगा: परंतु यह और भी कि अपीलकर्ता द्वारा ऐसी वापसी के अनुसरण में दायर की गई कोई भी नई अपील इस अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

27 अपील अधिकरण में अपील - (1) इस अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण में अपील प्ररूप एचएसएनएस एपीएल-02 में, क्रॉस-आपत्तियों के ज्ञापन और अपील किए गए निर्णय या आदेश सहित सुसंगत दस्तावेजों के साथ दायर की जाएगी।

(2) अपील संख्या को इंगित करते हुए एक पावती, अपीलकर्ता को तुरंत जारी की जाएगी और पावती जारी करने की तारीख को अपील दाखिल करने की तारीख माना जाएगा:

परंतु जहां अपील दायर करने की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर निर्णय या आदेश की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है, वहां ऐसी प्रति प्रस्तुत करने की तारीख को अपील दायर करने की तारीख माना जाएगा।

स्पष्टीकरण. - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अपील को केवल तभी दायर माना जाएगा जब अपील संख्या को इंगित करते हुए अंतिम पावती जारी की जाती है।

28. अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण - (1) अपीलकर्ता को अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष कोई भी साक्ष्य, चाहे मौखिक हो या दस्तावेजी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जो न्यायनिर्णायिक प्राधिकारी या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अलावा, सिवाय निम्नलिखित परिस्थितियों में, अर्थात्: -

(क) जहां न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी या, जैसा भी मामला हो, अपील प्राधिकारी ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए था; या

(ख) जहां अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया था जो उसे न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी या, जैसा भी मामला हो, अपील प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; या

(ग) जहां अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी या, जैसा भी मामला हो, अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका गया था जो अपील के किसी भी आधार के लिए सुसंगत है; या

(घ) जहां न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी या, जैसा भी मामला हो, अपीलीय प्राधिकारी ने अपील के खिलाफ आदेश पारित किया है, अपीलकर्ता को अपील के किसी भी आधार के लिए सुसंगत साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण इसके स्वीकार किए जाने के कारणों को लिखित में दर्ज नहीं कर लेता।

(3) अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी भी साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी या उक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को निम्नलिखित में से किसी एक का उचित अवसर न दिया गया हो-

(क) साक्ष्य या दस्तावेज की जांच करने या अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी गवाह से जिरह करने; या

(ख) उप-नियम (1) के अधीन अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खंडन में कोई साक्ष्य या कोई गवाह प्रस्तुत करने।

(4) इस नियम में निहित कोई भी बात अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण की अपील का निपटारा करने में सक्षम बनाने के लिए किसी दस्तावेज के प्रस्तुत किए जाने या किसी गवाह की जांच करने के निदेश देने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

29 अपील अधिकरण के समक्ष दायर अपील की वापसी: - अपीलकर्ता इस अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2) के अधीन आदेश जारी होने से पहले किसी भी समय, दायर की गई किसी अपील के संबंध में उक्त अपील की वापसी के लिए आवेदन दायर कर सकता है:

परंतु जहां पावती जारी की गई है, वहां उक्त अपील की वापसी अपील न्यायाधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगी और अपील की वापसी के लिए ऐसे आवेदन का निर्णय अपील अधिकरण द्वारा ऐसे आवेदन दाखिल करने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा:

इसके अलावा यह भी कि ऐसी वापसी के अनुसरण में अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई कोई भी नई अपील इस अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (1) में विविनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर की जाएगी।

30. प्राधिकृत प्रतिनिधि- इस अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, कोई भी व्यक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह-

(क) एक चार्टर्ड एकाउंटेंट न हो जिसके पास अभ्यास का विधिमान्य प्रमाण पत्र हो; या

(ख) एक कंपनी सचिव न हो जिसके पास अभ्यास का विधिमान्य प्रमाण पत्र हो; या

(ग) एक लागत लेखाकार न हो जिसके पास अभ्यास का विधिमान्य प्रमाण पत्र हो; या

(घ) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का एक सेवानिवृत्त अधिकारी न हो जिसने सरकार के अधीन अपनी सेवा के दौरान, समूह-बी राजपत्रित अधिकारी के पद से नीचे के पद पर कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए कार्य किया हो:

परंतु कि ऐसा सेवानिवृत्त अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के समक्ष उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा।

31. प्राधिकृत प्रतिनिधि के कदाचार के लिए निर्हता - जहां किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को, मामले की जांच करने पर, अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही के संबंध में कदाचार का दोषी पाया जाता है, आयुक्त उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित कर सकता है।

अध्याय XI

विविध

32. उल्लंघन के लिए शास्ति.—यदि यह पाया जाता है कि कर योग्य व्यक्ति उचित अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत हुए बिना विविन्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन के प्रयोजन के लिए किसी मशीन या प्रक्रिया का स्वामी है, उसे चलाता है या उसके नियंत्रण में है, तो ऐसे कर योग्य व्यक्ति की उपकर देयता का निर्धारण कारखाने में उपलब्ध मशीनों की संख्या या हस्तचालित प्रक्रिया इकाई की उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और जब तक उचित अधिकारी की संतुष्टि के लिए इसके विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तब तक ऐसी मशीनों या हस्तचालित प्रक्रिया इकाई को नियम 10 के प्रयोजन के लिए 1 फरवरी, 2026 या पिछले दो वर्षों में से जो भी पञ्चात् में हो, से चालू माना जाएगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

33. क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन प्रणाली की स्थापना - (1) विविविन्दिष्ट के निर्माण में लगा हुआ प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन सभी क्षेत्रों को कवर करने वाली एक कार्यात्मक क्लोज्ड-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा, जहां पैकिंग मशीनें स्थापित की गई हैं या कारखाने के भीतर मैनुअल प्रक्रिया इकाइयां स्थित हैं।

(2) रिकॉर्ड किए गए सभी फुटेज को रिकॉर्डिंग की तारीख से कम से कम चौबीस महीने की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, लिखित अनुरोध पर, ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के अड़तालीस घंटे के भीतर, उचित अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराएगा।

34: मशीनों को हटाना - (1) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का इरादा स्थापित मशीन को आगे संचालित करने का नहीं है, तो वह उचित अधिकारी को, इस प्रकार के इरादे की तारीख से कम से कम तीन कार्य दिवसों पहले सूचित करेगा, जिस पर उक्त उचित अधिकारी द्वारा इसे अनइंस्टॉल किया जाएगा, जो कारखाने से मशीन को हटाने की निगरानी करेगा:

परंतु यदि कारखाने से ऐसी मशीन को हटाना संभव नहीं है, तो इसे उचित अधिकारी द्वारा इस तरह से सील कर दिया जाएगा कि इसे संचालित नहीं किया जा सके।

[फा.सं. एस-25014/2/2025-डीएस(एसटी)-डीओआर(पीटी.5)]

मुथुरमन सी, अवर सचिव

प्ररूप एचएसएनएस आरईजी-01

[नियम 4(1) देखिए]

रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

भाग-क नीचे दी गई सारणी के अनुसार(प्रारंभिक व्यौरा) :

(भाग-ख में आगे बढ़ने से पहले पैन की ऑनलाइन और ओ.टी.पी. से पुष्टि की जानी है)

सारणी 1

क्रमांक सं.	विवरण	ईनपुट
1.	कारबार का विधिक नाम (पैन के अनुसार) *	

2.	माल और सेवा कर पहचान संख्या (जी.एस.टी.आई.एन.) (यदि कोई हो) (उस स्थान का जी.एस.टी.आई.एन. दर्ज करें जहां मशीनें प्रधान कारबार स्थल/अतिरिक्त कारबार स्थल पर स्थित हैं)	
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रजिस्ट्रीकरण संख्या (यदि कोई हो)	
4.	ईमेल पता*	
5.	मोबाइल नंबर*	

1, 4 & 5*- अनिवार्य प्रभाग –

भाग- ख नीचे दी गई सारणी के अनुसार (कारबार और प्रक्रिया ब्यौरा)

1. कारबार विवरण

सारणी

क्रमांक सं.	विवरण	इनपुट
1.	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	
2.	व्यवसाय का गठन (समुचित का चयन करें)	<ul style="list-style-type: none"> ■ स्वत्वधारिता ■ भागीदारी ■ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ■ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ■ एल.एल.पी. ■ हिंदू अविभक्त कुटुंब ■ अन्य
3.	कारबार प्रारंभ करने की तारीख	[तारीख/मास/साल]
4.	वह तारीख जिस पर रजिस्ट्रीकरण की देयता उत्पन्न होती है।	[तारीख/मास/साल]

2. नीचे दी गई सारणी के अनुसार विनिर्माण परिसर (कारखाना) का पता

सारणी

क्रमांक	विवरण	ईनपुट
(1)	(2)	(3)
1	पता ब्यौरा	
	मकान संख्या/फ्लैट संख्या	
	परिसर/भवन का नाम	
	सड़क/गली/लेन	
	शहर/जिला	
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र [ड्राप डाउन]	
	पिन कोड	
	परिसर की सीमाएँ जिन्हें रजिस्ट्रीकृत किया जाना है (उत्तर/दक्षिण/पूर्व/पश्चिम)	
2.	अधिकारिता (कमिश्नरी/डिवीजन/रेंज) [ड्राप डाउन]	
3.	परिसर के कब्जे की प्रकृति	<input type="checkbox"/> स्वामित्व वाला <input type="checkbox"/> पट्टे पर लिया गया <input type="checkbox"/> किराए पर लिया गया <input type="checkbox"/> सहमति <input type="checkbox"/> साझा

3. नीचे दी गई सारणी के अनुसार कराव्ये क्रियाकलाप का वर्गीकरण

एचएसएनएस उपकर अधिनियम, 2025 की धारा 4 और अनुसूची 2 के आधार पर

सारणी

क्रमांक सं.	विवरण	ईनपुट
1.	कराव्ये व्यक्ति की श्रेणी	<ul style="list-style-type: none"> पूर्णतः या आंशिक रूप से मरीन आधारित प्रक्रिया (अधिनियम की अनुसूची 2 की सारणी 1) पूर्णतः दस्ती प्रक्रिया (अधिनियम की अनुसूची 2 की सारणी 2)
2.	मरीन/प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रकृति	<input type="checkbox"/> स्वामित्व वाला

		<input type="checkbox"/> पट्टे पर लिया गया <input type="checkbox"/> प्रचालक/नियंत्रक <input type="checkbox"/> जॉब कर्मकार
3.	विनिर्दिष्ट माल का विवरण (अनुसूची-1 के अनुसार)	<input type="checkbox"/> पान मसाला (2106 90 20) <input type="checkbox"/> अन्य अधिसूचित माल

4. नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रवर्तक / भागीदारों / निदेशकों का ब्यौरा

सारणी

क्रमांक सं.	विवरण	ब्यौरा
(1)	(2)	(3)
1.	व्यक्तिगत ब्यौरा	
	व्यक्ति का नाम	
	पदनाम (स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/कर्ता)	
	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
	निवास पता	
	मोबाइल संख्या और ईमेल	
	फोटो अपलोड	

5. नीचे दी गई सारणी के अनुसार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ब्यौरा

सारणी

क्रमांक सं.	विवरण	ब्यौरा
(1)	(2)	(3)
1.	व्यक्तिगत ब्यौरा	
	व्यक्ति का नाम	
	पदनाम (स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक/कर्ता)	

	स्थायी खाता संख्या (पैन)	
	निवास पता	
	मोबाइल संख्या और ईमेल	
	फोटो अपलोड	

6. नीचे दी गई सारणी के अनुसार बैंक खाते का व्यौरा

सारणी

क्रमांक सं.	विवरण	इनपुट
1.	बैंक खाता	[संख्या]
	खाता संख्या	
	खाते का प्रकार	
	आईएफएससी कोड	[पाठ]
	बैंक का नाम और शाखा	[पाठ]

सत्यापन

मैं _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम) एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ।

स्थान: _____

तारीख: _____

पदनाम: _____

अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची (अधिकतम दस्तावेज संख्या में 5, प्रत्येक 2 एमबी (पीडीएफ/जेपीईजी))

- कारबार के गठन का प्रमाण: (भागीदारी विलेख, निगमन प्रमाणपत्र, आदि) (पीडीएफ)
- परिसर के पते का साक्ष्य: (संपत्ति कर रसीद, विजली बिल, किराया/पट्टा करार) (पीडीएफ)
- प्रमोटरों/भागीदारों/निदेशकों की फोटो (जेपीईजी)
- बैंक खाते का साक्ष्य: (रद्द किया गया चेक या पासबुक का पहला पृष्ठ) (पीडीएफ)

5. प्राधिकरण पत्र: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए (पीडीएफ)

प्ररूप एचएसएनएस आरईजी-02

पंजीकरण प्रमाणपत्र

[नियम 5(4) देखें]

1. पंजीकरण संख्या: [एबीसीडीई1234एफएचएस001]

2. विधिक नाम: [एकल स्वत्वधारी स्वामी / कंपनी / साझेदारी / एचयूएफ का नाम]

3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो: [व्यापार का नाम]

4. कारोबार का गठन: [स्वामित्व / साझेदारी / प्राइवेट लिमिटेड / पब्लिक लिमिटेड / एलएलपी / एचयूएफ]

5. परिसर का पता (कारखाना): [परिसर का पूरा पता जहां मशीनें / प्रक्रियाएं स्थित हैं]

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिस व्यक्ति का विवरण ऊपर दिया गया है, वह स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अधीन पंजीकृत है, यह स्वीकार करते हुए कि वह:

- (i) उपर्युक्त परिसर में स्थापित पैकिंग मशीनों का स्वामी/अधिकार रखता है/ चलाता है/ प्रबंध करता है/ नियंत्रित करता है; या
- (ii) उपर्युक्त परिसर में मैनुअल प्रक्रिया करता है;

जिसके द्वारा विनिर्दिष्ट वस्तुएं (जैसा कि अधिनियम की अनुसूची I में परिभाषित है) निर्मित या उत्पादित की जाती हैं।

6. परिसर/मशीनों के कब्जे की प्रकृति: [स्वामित्व / पट्टे / किराए / साझा / सहमति]

7. आरसी जारी करने की तारीख: दिन/माह/वर्ष

8. उपकर के भुगतान की देनदारी आरंभ होने की तारीख: दिन/माह/वर्ष

9. क्षेत्राधिकार विवरण:

- आयुक्तालय: [कोड - नाम]
- प्रभाग: [कोड - नाम]
- रेंज: [कोड - नाम]

शर्तें:

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल आवेदन में विनिर्दिष्ट परिसर और उद्देश्यों के लिए मान्य है।

2. पंजीकरण प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

3. प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि किसी सुधार/परिवर्तन के लिए अनुरोध लागू नहीं किया जाता है और उसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

4. यह प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि रजिस्ट्रार उस गतिविधि को जारी रखता है जिसके लिए इसे जारी किया गया है या इसे रद्द कर दिया जाता है।

5. इस प्रमाणपत्र का अनुदान किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के पंजीकृत परिसर या उद्देश्य पर अधिकारों के लिए पूर्वाग्रह के बिना होगा जिसके लिए ऐसा व्यक्ति विधिक रूप से हकदार हो सकता है।

टिप्पणी:

1. यह पंजीकरण प्रमाणपत्र की सिस्टम-जनित प्रति है। इसलिए, इस पर अधिकारी के हस्ताक्षर/मुहर की कोई आवश्यकता नहीं है।

2. पंजीकरण उचित अधिकारी द्वारा विवरणों के कार्योत्तर सत्यापन के अधीन है।

प्ररूप एचएनएस डीईसी - 01

[नियम 9 देखें]

विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण या उत्पादन के लिए स्थापित मशीनों या अपनाई गई प्रक्रियाओं की घोषणा

1. सारणी के अनुसार मूल जानकारी

सारणी

1.	एच.एस.एन.एस. रजिस्ट्रीकरण संख्या	
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो	
4.	कारखाने/परिसर का पता	
5.	जी.एस.टी.आई.एन.	
6.	दाखिल करने की तिथि	दिनांक/माह/वर्ष

2. घोषणा का प्रकार (एक पर निशान करें)

- [] प्रारंभिक घोषणा (धारा 9(1))
- [] घोषणा में परिवर्तन (धारा 9(2) - पैरामीटर में परिवर्तन)
- [] किसी मशीन या प्रक्रिया का नया संस्थापन / परिवर्धन / संचालन प्रारंभ (धारा 9(3))

3. सारणी के अनुसार विविनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण का विवरण:

(अधिनियम की अनुसूची 1 देखें) (मास्टर से प्राप्त किया जाना है)

सारणी

क्र.सं.	अध्याय/शीर्षक	माल का विवरण (जैसे, पान मसाला)	ब्रांड (ब्रांडों) का नाम
1			
2			

4. सारणी क और ख के अनुसार स्थापित मशीनों का विवरण (मशीन आधारित प्रक्रियाओं के लिए)

(अधिनियम की अनुसूची II की सारणी I के अधीन उपकर की गणना के लिए प्रासंगिक)

सारणी क : मौजूदा मशीनें

सारणी ख: नई जोड़ी गई मशीनें (यदि लागू हो)

5. सारणी के अनुसार विवरण में परिवर्तन (धारा 9(2) के अधीन घोषणा के लिए)

(मशीन का क्रम संख्या और सारणी 4 में पूर्व में दिए गए विवरण दर्ज करें, जो स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। जिन पंक्तियों में पैरामीटर बदले गए हैं, उनके विवरणों को संपादित किया जा सकता है)

सारणी

6. सारणी के अनुसार अन्य विभागों को दी गई मशीनों की सूचना का विवरण:

सारणी

क्रमांक सं.	सूचना की तिथि	सरकारी विभाग/किसी अन्य एजेंसी या संगठन का नाम	घोषणा का विवरण (प्रमाण पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना है)
(1)	(2)	(3)	(4)

7. सारणी के अनुसार पैकिंग मशीनों का निपटान (संशोधन के रूप में दाखिल किया जाना है)

सारणी

क्रमांक सं.	मशीन का रजिस्ट्रीकरण नंबर	निपटान की तिथि	निपटान का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)

8. सारणी के अनुसार हस्तचालित प्रक्रियाओं का विवरण (यदि लागू हो)

(अधिनियम की अनुसूची II की सारणी 2 के अधीन उपकर की गणना के लिए प्रासंगिक)

नोट: यह खंड केवल तभी लागू होता है जब अधिनियम की धारा 5(5) में विनिर्दिष्ट किसी मशीन की सहायता के बिना विनिर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण पूरी तरह से हस्तचालित प्रक्रिया द्वारा किया जाता हो।

सारणी

क्रमांक सं.	प्रक्रिया का विवरण	स्थान / फैक्ट्री के अन्दर का भाग	पैकिंग की प्रकृति (जैसे, पाउच, टिन, कंटेनर)	पैक किये गये विनिर्दिष्ट माल का वजन (ग्राम में)	औसत दैनिक उत्पादन क्षमता (इकाई)	प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

9. अपलोड किए गए दस्तावेज़ (अधिकतम 5 दस्तावेज़, प्रत्येक 2 एमबी (पीडीएफ़))

1. [] मशीनों की तकनीकी विशिष्टता शीट (निर्माता का मैनुअल)
2. [] चार्टर्ड इंजीनियर से प्रमाण पत्र (मशीनों की गति और क्षमता को प्रमाणित करने वाला)
3. [] मशीन स्थानों को दर्शाने वाली फैक्ट्री की लेआउट योजना
4. [] अन्य विभाग सूचना घोषणा
5. [] अन्य: _____

10. सत्यापन

मैं, _____ (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), _____ का पुत्र/पुत्री, एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं समझता/समझती हूँ कि कोई भी दूर्घटी घोषणा स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 के अध्याय VI के अधीन दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।

स्थान: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

प्ररूप एचएनएस सीई-01

[नियम 10 देखें]

चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र

1. नीचे दी गई सारणी के अनुसार कर योग्य व्यक्ति का विवरण

सारणी

1. एचएनएस पंजीकरण संख्या	_____
2. विधिक नाम	_____
3. व्यापार नाम	_____
4. कारखाने का पता	_____

2. नीचे दी गई सारणी के अनुसार जाँची गई मशीनों का विवरण

(कारखाने के परिसर में स्थापित मशीनों के भौतिक सत्यापन के बाद चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा भरा जाना है)

सारणी

क्रम संख्या	प्रकार/रीति	निर्माता का नाम	मशीन नंबर (क्रम संख्या)	मशीन रजिस्ट्रीकरण संख्या (यदि प्रणाली द्वारा पहले से नियत किया है)	ट्रैकिंग की संख्या	मशीन का विवर बॉक्स अनुपात	मुख्य मोटर के विवर	फनल की संख्या	पैकेजिंग प्रकार	पैकेज का वज़न (ग्राम में)	प्रत्येक ट्रैक की अवधि	मशीन की कुल पैकिंग अवधि	विजली की खपत	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														

3. प्रमाणीकरण

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि:

1. मैंने व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त सारणी में सूचीबद्ध _____ (संख्या) मशीनों का _____ के कारखाने के परिसर में _____ (निरीक्षण की तारीख) पर व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया है।

2. उपर्युक्त सारणी में प्रस्तुत विवरण, विशेष रूप से अधिकतम निर्धारित गति (स्तंभ 10) और पैकेज का वजन (स्तंभ 8), मशीनों के तकनीकी विनिर्देशों और भौतिक सत्यापन के आधार पर, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।
3. मैंने सत्यापित किया है कि मशीनें यहां घोषित उत्पादन गति के लिए सक्षम हैं।
4. मशीनों की क्षमता के बारे में कुछ भी छिपाया या गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है जो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 के अधीन उपकर की देयता को प्रभावित करेगा।

तारीख : _____

स्थान : _____

(चार्टर्ड इंजीनियर का हस्ताक्षर)

नाम: _____

सदस्यता / पंजीकरण संख्या.: _____

पता: _____

मोबाइल सं.: _____

ईमेल आईडी: _____

चार्टर्ड इंजीनियर के लिए निर्देश:

1. **स्तंभ 10 (पैकिंग की प्रकृति):** स्पष्ट रूप से बतायें कि मशीन पाउच, टिन या कंटेनर में पैक करती है या नहीं, क्योंकि अधिनियम की धारा 2(ध) में "वजन" की परिभाषा इन विशिष्ट कंटेनरों पर लागू होती है।
2. **स्तंभ 13 (कुल पैकिंग क्षमता):** यह अधिकतम श्रेणीकृत गति है। इसकी गणना इस प्रकार की जानी चाहिए: (प्रति ट्रैक क्षमता) × (ट्रैक की संख्या)। यह आंकड़ा अधिनियम की अनुसूची 2 में उपकर स्लैब निर्धारित करता है।
3. **रूपांतरण:** यदि किसी मशीन को उसकी गति या क्षमता को बदलने के लिए रूपांतरित किया गया है, तो प्रमाण पत्र में वर्तमान वास्तविक अधिकतम क्षमता दिखनी चाहिए, न कि केवल निर्माता के मूल विनिर्देश।

प्ररूप एचएसएनएस पीएमटी-01

[कृपया नियम 13(1) देखें]

ड्राफ्ट चालान रूपविधान

1. नीचे दी गई सारणी के अनुसार करदाता का विवरण

सारणी

पंजीकरण संख्या		ई-मेल का पता	
मोबाइल संख्या		करदाता का नाम	
पता			

2. नीचे दी गई सारणी के अनुसार चालान पहचान

सारणी

सीटीआईएन		
सीटीआईएन की तारीख		सीटीआईएन का अंतिम तारीख

2. नीचे दी गई सारणी के अनुसार अधिकार क्षेत्र का विवरण

सारणी

आयुक्तालय	
आयुक्तालय कोड	
डिवीजन	
डिवीजन कोड	
रेंज	
रेंज कोड	

4. नीचे दी गई सारणी के अनुसार शुल्क भुगतान विवरण

सारणी

शुल्क शीर्ष	लेखा कोड	लेखा कोड प्रकार	रकम
एच.एस.एन.एस उपकर			
ब्याज			
शास्ति			
कुल रकम			[स्वाचालित रूप से संगणित]

कुल चालान रकम (शब्दों में):

टिप्पण: ब्याज और शास्ति के लिए पृथक क्षेत्र शामिल होगा।

प्ररूप एचएसएनएस आरईटी - 01

[नियम 14(1) देखें]

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर के भुगतान के लिए मासिक विवरणी

1. नीचे दी गई सारणी के अनुसार मूल जानकारी

सारणी

1.	एच.एस.एन.एस. रजिस्ट्रीकरण संख्या।	विशिष्ट विवरण
(1)	(2)	(3)
2.	विधिक नाम	
3.	व्यापार नाम	
4.	जी.एस.टी.आई.एन.	
5.	विवरणी अवधि	माह: _____ वर्ष: _____
6.	फाइल करने की तारीख	

2. नीचे दी गई सारणी के अनुसार महीने के लिए देय उपकर का विवरण (मशीन आधारित):

(अधिनियम की अनुसूची II की सारणी I के साथ पठित धारा 5(2) के अधीन उपकर की गणना के लिए प्रासंगिक)

नोट: उपकर की गणना प्ररूप एचएसएनएसडीईसी-I में घोषित विनिर्दिष्ट (जैसे, पान मसाला) की अधिकतम निर्धारित गति और वजन के आधार पर की जाती है।

सारणी

क्रमांक संख्या	मशीन रजिस्ट्रीकरण संख्या। [पंक्तियों में मशीनों की रजिस्ट्रीकृत संख्या वाला एक ड्रॉपडाउन बॉक्स दिखाया जाएगा]	मशीन की स्थिति			लागू मासिक उपकर दर (अनुसूची II के अनुसार) (₹)	कुल देय उपकर (रुपये)
		महीने के लिए कार्य स्थिति (हाँ/न हीं)]	सील करने की तारीख [दिन/मा ह/वर्ष]	सील हटाने की तारीख [दिन/मा ह/वर्ष]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

...				
कुल				(ए)

3. नीचे दी गई सारणी के अनुसार महीने के लिए देय उपकर का विवरण (पूरी तरह से हस्तचालित प्रक्रिया)

(अधिनियम की अनुसूची II की सारणी 2 के साथ पठित धारा 5(4) के अधीन उपकर की गणना के लिए प्रासंगिक)

सारणी

क्या हस्तचालित प्रक्रिया की जाती है हाँ/नहीं	लागू मासिक उपकर दर (नियत)
(1)	(2)
कुल	(बी)

4क. पिछले महीने जारी आदेश के अनुसार दावा की गई छूट का विवरण (मशीन आधारित) नीचे दी गई सारणी के अनुसार है:

सारणी

क्रमांक संख्या	मशीन रजिस्ट्रीकरण संख्या (सिस्टम जनरेटेड) [पंक्तियों में मशीनों की रजिस्ट्रीकृत संख्या वाला एक ड्रॉपडाउन बॉक्स दिखाया जाएगा]	पिछले महीने जारी किए गए निरसन आदेश का विवरण (आदेश संख्या और तारीख)	नियम 15 (3) के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा रकम कम करने का आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
...			
कुल			(सी 1)

4ख. नीचे दी गई सारणी के अनुसार छूट (हस्तचालित प्रक्रिया) का विवरण:

सारणी

पिछले महीने जारी किए गए निरसन आदेश का विवरण (आदेश संख्या और तारीख)	नियम 15 (3) के अधीन उचित अधिकारी द्वारा कम करने का आदेश दी गई रकम
(1)	(2)

(सी 2)

4. नीचे दी गई सारणी के अनुसार देयता और भुगतान का सारांश:

सारणी

क्रम सं.	विवरण	रकम (₹.)
(1)	(2)	(3)
1.	मशीनों पर कुल उपकर देय (A)	
2.	हस्तचालित प्रक्रिया पर कुल उपकर देय (B)	
3.	कम: शुद्ध छूट का दावा ($C=C_1+C_2$)	
4.	शुद्ध उपकर देय ($D=A+B-C$)	
5.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज (यदि अधिनियम की धारा 17 के अनुसार लागू हो) (E)	
6.	जुर्माना (यदि लागू हो) (F)	
7.	कुल देय रकम ($G=D+E+F$)	

6. नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपकर भुगतान का विवरण:

सारणी

क्रमांक सं.	चालान सं. (सीआईएन)	भुगतान की तारीख	बैंक का नाम	रकम (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

7. सत्यापन

मैं, _____ (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम), _____ का पुत्र/पुत्री, एतद्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता/करती हूं और घोषित करता/करती हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह समझता/समझती हूं कि अधिनियम की धारा 5 के अधीन निर्धारित क्षमता के अनुसार उपकर का स्व-मूल्यांकन किया गया है।

स्थान: _____

तारीख: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

प्ररूप एचएसएनएस आरईटी -I भरने के निदेश:

प्ररूप एचएसएनएसआरईटी -I भरने के निदेश:

- विवरणी अवधि (सारणी क्रमांक 1): मासिक विवरणी अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल किया जाना है।

उदाहरण: यदि आप अक्टूबर 2026 महीने के लिए विवरणी दाखिल कर रहे हैं, तो आपको इसे 20 नवंबर तक जमा करना होगा और सारणी क्रमांक 1 की पंक्ति संख्या 5 में 'विवरणी अवधि' के लिए 'अक्टूबर 2026' का उल्लेख करना होगा।

- मशीन का विवरण (सारणी क्रमांक 2): सारणी में दिया गया ब्यौरा विवरणी अवधि के लिए होना चाहिए।

- मशीन रजिस्ट्रीकरण संख्या: प्ररूप एचएसएनएसडीईसी-1 (घोषणा पत्र) में उत्पन्न विशिष्ट मशीन आईडी का चयन करें।

- लागू दर: अधिनियम की अनुसूची II देखें। मशीन की अधिकतम रेटेड गति और पाउच/टिन/कंटेनर के वजन के आधार पर लागू कर स्लैब निर्धारित करें।

- सीलिंग/डी-सीलिंग की तारीख: विशिष्ट तारीखों तभी दर्ज करें जब मशीन को विवरणी अवधि के दौरान उचित अधिकारी द्वारा सील या डी-सील किया गया हो।

- छूट दावा (सारणी क्रमांक 4क और 4ख): इस खंड का उपयोग छूट की उन रकमों की रिपोर्ट करने के लिए करें जिन्हें विवरणी अवधि में समायोजित किया जा रहा है।

उदाहरण: यदि आप अक्टूबर 2026 के महीने के लिए विवरणी दाखिल कर रहे हैं, तो आप सितंबर में प्राप्त छूट आदेश का विवरण उल्लेख करेंगे। छूट की अवधि छूट आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी जो जुलाई/अगस्त हो सकती है।

- छूट की गई रकम को विवरणी अवधि के लिए देय उपकर की रकम से समायोजित/घटाया जाना चाहिए। इसे क्रमांक 5 (पंक्ति संख्या 3) में सारणी में निर्दिष्ट किया जाएगा।

उदाहरण: यदि आप अक्टूबर 2026 के महीने के लिए विवरणी दाखिल कर रहे हैं, तो आप सितंबर में प्राप्त छूट आदेश का विवरण उल्लेख करेंगे। छूट की अवधि छूट आदेश में निर्दिष्ट की जाएगी जो जुलाई/अगस्त हो सकती है। छूट के लिए आदेशित रकम को विवरणी अवधि (यानी, अक्टूबर, 2026) के लिए देय कुल उपकर से समायोजित/घटाया जाना चाहिए ताकि विवरणी अवधि (यानी, अक्टूबर, 2026) के लिए देय उपकर की शुद्ध रकम प्राप्त हो सके।

- भुगतान विवरण (सारणी क्रमांक 6): विवरणी अवधि के लिए उपकर दायित्व को निर्वहन करने के लिए उपयोग किए गए विशिष्ट चालान (चालानों) का विवरण दर्ज करें। यदि आप अक्टूबर 2026 के महीने के लिए विवरणी दाखिल कर रहे हैं, तो 7 अक्टूबर तक किया गया भुगतान विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्ररूप एचएसएनएस बीएनडी-01

[नियम 21(1) देखिए]

अभिग्रहित किए गए या पैर्किंग मशीनों को निर्मुक्त करने के लिए बंधपत्र

मैं/हम के जिसे इसमें इसके पश्चात "बाध्यताधारी" कहा गया है, भारत के राष्ट्रपति

(जिसे इसमें इसके पश्चात "राष्ट्रपति" कहा गया है) के प्रति..... रूपये की राशि के लिए बाध्य और

दृढ़ता से बंधे हुए हैं, जिसका संदाय राष्ट्रपति को किया जाएगा। मैं/हम संयुक्त रूप से और अलग-अलग इन प्रस्तुतियों द्वारा

स्वयं को/अपने आपको और मेरे/हमारे उत्तराधिकारियों/निष्पादकों/प्रशासकों/विधिक प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों और

नियुक्तों को बाध्य करते हैं; तारीख इस के दिन।

स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 की धारा 24 की उपधारा (8) के उपबंधों के अनुसार, विनिर्दिष्ट माल/पैकिंग मशीनों को आदेश संचया तारीख के द्वारा अधिग्रहित किया गया है, जिसका मूल्य रुपये है, जिसमें रुपये की उपकर राशि शामिल है।

मेरे/हमारे अनुरोध पर, विनिर्दिष्ट माल/पैकिंग मशीनों को मूल्य के बंधपत्र पर निष्पादन पर उचित अधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से निर्मुक्त करने की अनुमति दी गई है रुपये और रुपये की जमानत जिसके खिलाफ राष्ट्रपति के पक्ष में नकद/बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई है; और

मैं/हम अधिनियम के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षानुसार मुझे/हमें अस्थायी रूप से निर्मुक्त किए गए उक्त विनिर्दिष्ट माल/पैकिंग मशीनों को प्रस्तुत करने का वचन देता/देती है।

और यदि उचित अधिकारी द्वारा लिखित रूप में मांग की तारीख के दस दिनों के भीतर सभी उपकर, ब्याज, शास्ति, जुर्माना और अन्य वैध प्रभार का संदाय सम्यक्तः किया जाता है, तो यह बाध्यता शून्य हो जाएगी।

अन्यथा, और इस शर्त के किसी भी भाग के प्रदर्शन में भंग या विफलता होने पर, वही पूरी तरह से लागू रहेगा:

और राष्ट्रपति, अपने विकल्प पर, जमानत रकम से होने वाली सभी हानियों और क्षतिपूर्तियों को पूरा करने या उपरोक्त लिखित बंधपत्र के अधीन अपने अधिकारों को प्रमाणित करने या दोनों के द्वारा सक्षम होंगे;

इसके साक्ष्य में, ये प्रस्तुतियाँ बाध्यताधारी व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा इसमें पहले लिखे गए दिन पर हस्ताक्षरित की गई हैं।

बाध्यताधारी व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान:

साक्षी : (1) नाम और पता: हस्ताक्षर:

(2) नाम और पता:

हस्ताक्षर:

मेरे द्वारा दिन (मास).....(वर्ष)
..... स्वीकृत.(अधिकारी का पदनाम) के लिए और भारत के राष्ट्रपति के निमित।

(उचित अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप एचएनएस एपीएल 01

(नियम 23 देखिए)

अधिनियम की धारा 29 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी को अपील का प्ररूप

1. संख्याके.....20....
2. अपीलकर्ता का नाम और पता।
3. अपील किए गए विनिश्चय या आदेश को पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम और पता और विनिश्चय या आदेश की तारीख।
4. अपीलकर्ता को अपील किए गए निर्णय या आदेश की संसूचना की तारीख।
5. वह पता जिस पर अपीलकर्ता को नोटिस भेजे जा सकते हैं।
- 6.
- (i) विनिर्दिष्ट माल का विवरण और वर्गीकरण
- (ii) विवाद की अवधि
- (iii) उपकर की रकम, यदि कोई हो, जो मद (ii) में उल्लिखित अवधि के लिए मांगी गई है
- (iv) मद (i) में उल्लिखित अवधि के लिए दावा की गई उपशमन/प्रतिदाय की रकम
- (v) लगाए गए जुर्माने की रकम।
- (vi) लगायी गई शास्ति की रकम
- (vii) अधिग्रहित किए गए माल का बाजार मूल्य।
7. क्या उपकर या जुर्माना या दोनों जमा किए गए हैं; यदि नहीं, तो क्या ऐसी जमा रकम से छुटकारा पाने के लिए कोई आवेदन किया गया है। (जिस चालान के अधीन रकम जमा की गई है, उसकी एक प्रति प्रस्तुत की जाएगी)।
8. क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किए जाने की इच्छा रखता है?
9. अपील में मांगी गई राहत।
10. तथ्यों का कथन.....
11. अपील के आधार.....

प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..... अपीलकर्ता,, एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि जो ऊपर कहा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख के दिन सत्यापित

स्थान _____

तारीख _____

प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणः— (1) अपील के आधार और सत्यापन के प्ररूप पर अपीलकर्ता द्वारा नियम 23 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) तथ्यों के कथन और अपील के आधार सहित अपील का प्ररूप, अपील किए गए विनिश्चय या आदेश की एक प्रति के साथ होगा।

प्ररूप एचएसएनएस एपीएल 02

[नियम 27 देखिए]

अधिनियम की धारा 61 के अधीन अपीलीय अधिकरण में अपील का प्ररूप

सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण में

20.....की अपील संख्या.....
.....अपीलकर्ता बनाम

वीएस

प्रतिवादी

1. (i) रजिस्ट्रीकरण संख्या (ii) अधिकारिता सीमा/डिवीजन/कमिश्नरेट/जोन
(iii) ई-मेल पता (iv) दूरभाष संख्या
2. अपील किए गए आदेश को पारित करने वाले प्राधिकारी का पदनाम और पता।
3. अपील किए गए आदेश की संख्या और तारीख।

तारीख

4. अपील किए गए आदेश की प्रतिलिपि की संसूचना की तारीख।
5. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और कमिश्नरेट जिसमें निर्धारण, शास्ति, जुर्माना का आदेश या विनिश्चय किया गया था।
6. यदि अपील किए गए आदेश का संबंध एक से अधिक कमिश्नरेटों से संबंधित है, तो सभी कमिश्नरेटों के नाम का उल्लेख करें, जहाँ तक यह अपीलकर्ता से संबंधित है।
7. न्यायनिर्णयिक प्राधिकारी का पदनाम और पता, उस दशा में जहाँ अपील किया गया आदेश, आयुक्त (अपील) का आदेश है।
8. वह पता जहाँ अपीलकर्ता को नोटिस भेजे जा सकते हैं।
9. वह पता जहाँ प्रतिवादी को नोटिस भेजे जा सकते हैं।

10. क्या अपील किए गए विनिश्चय या आदेश में उपकर की संगणना से संबंधित कोई प्रश्न शामिल है।
11. माल का विवरण और वर्गीकरण।
12. विवाद की अवधि।
13. (i) विवाद की अवधि के लिए मांग किए गए उपकर की रकम, यदि कोई हो। (ii) अपील किए गए आदेश की तारीख तक शामिल ब्याज की रकम। (iii) विवाद की अवधि के लिए अस्वीकृत या अननुज्ञात प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो। (iv) अधिरोपित जुर्माने की रकम। (v) अधिरोपित शास्ति की रकम। (vi) अधिग्रहित किए गए माल का बाजार मूल्य।
14. (i) उपकर या जुर्माना या शास्ति या ब्याज की जमा की गई रकम। यदि हो, तो नीचे दिए गए बॉक्स में प्रत्येक शीर्षक के अधीन जमा की गई रकम की जानकारी दें। (जिस चालान के अधीन रकम जमा की गई है, उसकी एक प्रति अपलोड की जाएगी)

उपकर	जुर्माना	शास्ति	ब्याज

(ii) यदि नहीं, तो क्या ऐसी जमा रकम को हटाने के लिए कोई आवेदन किया गया है?

15. यदि अपील, आयुक्त (अपील) के अपील-में-आदेश के विरुद्ध है, तो उक्त अपील-में-आदेश के अंतर्गत आने वाले मूल आदेशों की संख्या।
16. क्या प्रतिवादी ने उस आदेश के विरुद्ध भी अपील दायर की है जिसके विरुद्ध यह अपील की गई है?
17. यदि ऊपर क्रमांक 16 का उत्तर 'हाँ' है, तो अपील का विवरण अपलोड करें।
18. क्या अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप से सुनवाई चाहता है?
19. अपील में दावा की गई राहत।
20. तथ्यों का कथन
21. अपील के आधार

प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, अपीलकर्ता, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि जो ऊपर कहा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

.....आज के दिन 20..... सत्यापित।

प्राधिकृत प्रतिनिधि, यदि कोई है, के हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण:- (1) अपील के आधार और सत्यापन का प्ररूप, अपीलकर्ता द्वारा नियम 27 के अनुसार हस्ताक्षरित किया जाएगा।
(2) तथ्यों के कथन और अपील के आधार सहित अपील, अपील किए गए आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ फाइल की जाएगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2026

No.01/2026 - HSNS Cess

G.S.R. 02(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 of the Health Security *se* National Security Cess Act, 2025 (35 of 2025), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Health Security *se* National Security Cess Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st day of February, 2026.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) “Act” means the Health Security *se* National Security Cess Act, 2025 (35 of 2025);

(b) “Portal” means the portal accessible at cbic-gst.gov.in;

(c) "registered person" means a person who is registered under section 8 of the Act.

(2) The words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Appointment and jurisdiction of officers. — (1) The Board may, by order, appoint such officer as it thinks fit to be a proper officer who shall be entrusted with such powers or assigned with such functions as may be specified thereunder.

(2) The Board may, by order, specify the jurisdiction of a Principal Chief Commissioner, Chief Commissioner, Principal Commissioner, Commissioner, or Commissioner (Appeals), or Commissioner (Audit) for the purposes of the Act and the rules made thereunder.

(3) A proper officer may exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed under the Act or these rules on any other officer who is subordinate to him.

CHAPTER II REGISTRATION

4. Application for registration. - (1) Every taxable person liable to be registered under section 8 of the Act shall apply for registration by submitting the FORM HSNS REG-01 on the Portal along with the documents specified in the said form:

Provided that where a taxable person owns, possesses, leases or controls machines installed in more than one factory, a separate application in FORM HSNS REG-01 shall be submitted for each such factory.

(2) Upon successful submission of the application under sub-rule (1), a temporary registration number shall be generated and communicated to enable the taxable person to discharge the liability of cess as required under section 10 of the Act, pending the grant of registration certificate under rule 5.

5. Approval of application and issue of registration certificate- (1) The proper officer shall examine the application and grant registration within seven working days from the date of submission of the application.

(2) Where the application is found to be deficient, the proper officer shall inform the applicant and provide him a reasonable opportunity of being heard, and after considering the representation, if any, furnished by the applicant, the proper officer shall, either grant the registration if satisfied or reject the application after recording reasons in writing.

(3) Where the proper officer fails to take any action within the period specified in sub-rule (1), the application shall be deemed to have been approved.

(4) Where the application for grant of registration has been approved, a certificate of registration in FORM HSNS REG-02 shall be made available to the applicant on the Portal.

(5) The registration certificate shall be effective from the date on which the person becomes liable to be registered under section 8 of the Act.

6. Cancellation of registration under sub-section (2) of section 8. - (1) A registered person seeking cancellation of his registration under sub-section (2) of section 8 of the Act shall submit an application listing the grounds for seeking cancellation of registration to the proper officer.

(2) Where there are no dues pending from the registered person, the application for cancellation shall be approved by the proper officer within thirty days from the date of the receipt of the application under sub-rule (1) and the registered person shall be informed accordingly.

7. Cancellation of registration under sub-section (3) of section 8. – The registration of a registered person may be cancelled by the proper officer in the circumstances specified in sub-section (3) of section 8, by passing an order specifying the circumstances therein, after giving him a reasonable opportunity of being heard.

8. Revocation of cancellation of registration. - (1) A taxable person whose registration is cancelled under rule 7 may submit an application for revocation of cancellation within thirty days from the date of receipt of the cancellation order under rule 7.

(2) Where the proper officer is satisfied that sufficient grounds exist, he shall revoke the cancellation within thirty days of the receipt of such application and the applicant shall be informed accordingly.

(3) Where the proper officer is not satisfied with the application filed under sub-rule (1), he shall provide the applicant a reasonable opportunity of being heard, and after considering the representation, if any, furnished by the applicant, he shall either revoke the cancellation or reject the application and the applicant shall be informed accordingly.

CHAPTER III

DECLARATION

9. Declaration to be filed by registered person. - (1) Every registered person shall file a declaration as required under section 9 of the Act in FORM HSNS DEC-01 on the Portal within seven days of the grant of registration.

(2) In case of any change in the parameters relevant for the computation of cess, or in case of installation, addition or commencement of any machine or process, the registered person shall file a fresh declaration within fifteen days of such change.

10. Verification of declaration. - (1) On receipt of the declaration filed under rule 9, the proper officer shall verify the declaration within ninety days, which may, *inter alia*, include the—

- (a) physical inspection of the factory;
- (b) verification of the technical specifications of the machine in FORM HSNS CE-01, including the maximum rated speed of the machine; and
- (c) consultation with a third-party technical expert if deemed necessary.

11. Confirmation of declaration. - (1) In case no discrepancy is found in the declaration filed under rule 9, the proper officer shall pass an order within a period of fifteen days from the date of verification under rule 10, confirming the declaration and determining the computation of the cess payable in accordance with sections 5 and 9 of the Act.

(2) Where the proper officer finds any discrepancy in the declaration furnished under rule 9 that affects the computation of cess payable by the registered person, he shall intimate such discrepancy to the registered person and shall pass an order confirming the computation of the cess payable under sections 5 and 9 of the Act within a period not later than thirty days from the date of verification under rule 10, after giving the registered person a reasonable opportunity of being heard.

(3) No fresh declaration shall be filed under sub-rule (2) of rule 9 until an order of confirmation has been passed by the proper officer under this rule.

(4) The registered person shall be liable to pay the cess so determined for the period subsequent to the passing of the order under sub-rule (2) and shall also be liable to pay the differential amount of cess, if any, along with interest, for the period commencing from—

- (a) the date of installation of the machine or the start of the manual process unit, where the declaration is filed under sub-rule (1) of rule 9; or
- (b) the date of change in any parameter relevant for the computation of cess, or the date of installation, addition, or commencement of any machine or process, as the case may be, where the declaration is filed under sub-rule (2) of rule 9,

till the date of actual payment of such differential amount.

CHAPTER IV

PAYMENT OF CESS AND RETURNS

12. Cess payable to be calculated. – (1) The cess payable for a particular month shall be calculated as per the amount of cess per machine or manual process unit specified in Schedule II of the Act:

Provided that in the case of a newly registered person, the cess payable for the first month shall be calculated on a pro-rata basis, having regard to the total number of days in that month and the number of days commencing from the date of installation of the machine or the start of the manual process unit, as the case may be, and such cess shall be paid within five days of such installation or start.

(2) For the purpose of calculating the cess under sub-rule (1), the maximum rated speed of a machine shall be taken as the maximum speed achievable by the machine, as declared in FORM HSNS DEC-01 and as confirmed by the proper officer, irrespective of the actual operating speed at which that machine is used to manufacture or produce the specified goods of any weight.

(3) Where a machine is used to manufacture or produce specified goods of different weights during a month, the cess payable for that machine for that month shall be calculated with reference to the maximum weight of pouch or tin or container manufactured or produced as specified in Schedule II of the Act.

(4) In case of addition or installation or removal or uninstallation of a machine in the factory during the month, for the purpose of calculating cess under sub-rule (1), the number of machines installed for the month shall be taken as the maximum number of machines installed on any day during the month.

13. Manner of payment. – (1) The monthly cess payable under section 4 shall be paid by the registered person electronically in the FORM HSNS PMT-01, by the 7th day of the same month for which the liability is calculated:

Provided that where the amount of cess payable for the month increases as per sub-rule (2), (3) or (4) of rule 12, the differential amount of cess shall be paid within five days of the change in the maximum rated speed or weight of the specified goods or the addition or installation of the machine, as the case may be.

(2) If the registered person fails to pay the amount of cess by the due date or period specified in sub-rule (1), such person shall be liable to pay the outstanding amount along with interest at the rate specified under section 17 of the Act, for the period starting with the first day after the due date till the date of actual payment.

14. Filing of return.– (1) Every registered person shall furnish a monthly return in FORM HSNS RET-01 on the Portal along with the documents specified in the said Form, on or before the 20th day of the succeeding month.

(2) A registered person who has filed a return under sub-rule (1) may rectify any incorrect particulars or omission furnished in the said return, before the end of the calendar month in which the original return is filed:

Provided that where such rectification results in a higher liability of cess than that declared in the original return, the registered person shall pay the differential amount of cess along with interest at the rate specified under section 17 of the Act, on or before the date of submission of such revised return.

(3) Where a registered person fails to furnish a return by the due date, the proper officer shall issue a notice requiring such person to furnish such return within fifteen days of the receipt of the said notice.

CHAPTER V
CESS ABATEMENT AND COMPUTATION

15. Conditions for abatement. - (1) The abatement under sub-section (7) of section 5 of the Act shall be available when the following conditions are satisfied, namely:-

(a) the registered person intimates the proper officer at least three working days before the non-operation of an installed machine or manual process unit for any continuous period of fifteen days or more, requesting the sealing of the machine or closure of manual process unit, as the case may be;

(b) the packing machine or manual process unit is sealed by the proper officer within three working days from the date of receipt of intimation in such a manner that it cannot be operated;

(c) no manufacturing activity for the specified goods is undertaken on the said machine or by the manual process unit, as the case may be, during the period of sealing.

(2) Any registered person eligible for abatement under sub-rule (1), shall claim such abatement by submitting an application to the proper officer on or before the 20th day of the month succeeding the period for which the abatement is claimed.

(3) The proper officer shall, upon verification of the claim submitted under sub-rule (2), issue an order, within fifteen days of the submission of such application, allowing the abatement of the cess liability for each month covered by the period of non-operation of the machines or manual unit, which shall be adjusted against the cess liability payable for the month immediately following the month in which such order is issued:

Provided that no order rejecting the claim of abatement, either in whole or in part, shall be passed unless the registered person has been given a reasonable opportunity of being heard.

Explanation.- For the purposes of this rule, “installed machine” refers to an operational machine that has become non-operative during the period of abatement.

16. Quantification of abatement amount. - The amount of abatement for a month shall be calculated using the following formula:

$$A = \left(\frac{C}{N} \right) \times D$$

Where:

A = Amount of Abatement claimed

C = Total Cess liability for the machine for the month

N = Total number of days in the month

D = Total number of continuous days the machine was inoperative in the month

ILLUSTRATION 1: A REGISTERED PERSON IS ENGAGED IN THE MANUFACTURE OF SPECIFIED GOODS USING A HIGH-SPEED POUCH PACKING MACHINE WITH A PACKING SPEED OF 700 POUCHES OF 2.5 GRAMS PER MINUTE. THE MONTHLY CESS LIABILITY FOR SUCH A MACHINE UNDER SL. NO. 2 OF SCHEDULE II OF THE ACT IS ₹ 2,02,00,000. THE MACHINE REMAINS INOPERATIVE AND SEALED FROM THE 1ST DAY OF SEPTEMBER TO THE 19TH DAY OF SEPTEMBER (BOTH DAYS INCLUSIVE), AND THE MACHINE IS DE-SEALED ON THE 20TH DAY OF SEPTEMBER. THE APPLICATION FOR CLAIMING ABATEMENT MAY BE FILED BY THE REGISTERED PERSON BY 20TH OCTOBER (THE MONTH SUCCEEDING THE MONTH IN WHICH THE MACHINE WAS INOPERATIVE AND SEALED).

The amount of abatement of cess shall be calculated as follows: —

(i) Particulars of non-operation:

Total number of days in the month (September) (N): 30

Number of continuous days the machine was inoperative (D): 19

Amount of cess paid for the month for the machine (C): ₹ 2,02,00,000

(ii) Computation of Abatement Amount (A):

$$A = \left(\frac{2,02,00,000}{30} \right) \times 19 = ₹ 1,27,93,333$$

(iii) Adjustment: The amount of ₹ 1,27,93,333 shall be allowed as an abatement by the proper officer in the order issued in say, October. The same shall be adjusted against the cess liability for November by the registered person.

ILLUSTRATION 2: A REGISTERED PERSON IS ENGAGED IN THE MANUFACTURE OF SPECIFIED GOODS USING A HIGH-SPEED POUCH PACKING MACHINE WITH A PACKING SPEED OF 700 POUCHES OF 2.5 GRAMS PER MINUTE. THE MONTHLY CESS LIABILITY FOR SUCH A MACHINE UNDER SL. NO. 2 OF SCHEDULE II OF THE ACT IS ₹ 2,02,00,000. THE MACHINE IS SEALED ON THE 20TH DAY OF JULY AND IS DESEALED ON THE 11TH DAY OF AUGUST. THE TOTAL PERIOD OF CONTINUOUS NON-OPERATION IS 21 DAYS (EXCEEDING FIFTEEN DAYS). THE APPLICATION FOR CLAIMING ABATEMENT MAY BE FILED BY THE REGISTERED PERSON BY 20TH SEPTEMBER (THE MONTH SUCCEEDING THE MONTH IN WHICH THE MACHINES WERE INOPERATIVE AND SEALED).

The amount of abatement of cess shall be calculated as follows: —

(i) Particulars of non-operation for July:

Total number of days in the month (July) (N): 31

Number of continuous days in the month the machine was inoperative (D): 11

Amount of cess paid for the month for the machine (C): ₹ 2,02,00,000

(ii) Computation of Abatement Amount for July(A1):

$$A1 = \left(\frac{2,02,00,000}{31} \right) \times 11 = ₹ 71,67,742$$

(iii) Particulars of non-operation for August:

Total number of days in the month (August) (N): 31

Number of continuous days in the month the machine was inoperative (D): 10

Amount of cess paid for the month for the machine (C): ₹ 2,02,00,000

(iv) Computation of Abatement Amount for August(A2):

$$A2 = \left(\frac{2,02,00,000}{31} \right) \times 10 = ₹ 65,16,129$$

(v) Adjustment: The amount of ₹ 1,36,83,871 (A1+A2) shall be allowed as an abatement by the proper officer in the order issued in say, October. The same shall be adjusted against the cess liability for November by the registered person.

17. Desealing and resumption of operation. - The registered person shall intimate the proper officer three working days before the date from which he intends to resume operation on the sealed machine or closed manual process unit, as the case may be, which shall then be desealed under the physical supervision of the proper officer.

CHAPTER VI

AUDIT

18. Audit. - (1) The period of audit to be conducted under sub-section (1) of section 12 of the Act shall be a financial year or part thereof or multiples thereof.

(2) Where it is decided to undertake the audit of a registered person, the proper officer shall inform such person by way of a notice not less than fifteen days prior to the conduct of the audit.

(3) The proper officer authorised to conduct audit of the records specified under sub-rule (1) of rule 19 and the books of account of the registered person shall, with the assistance of the team of officers and officials accompanying him, verify the documents on the basis of which the books of account are maintained and the returns and declarations furnished under the provisions of the Act and the rules made thereunder, and other relevant issues and record the observations in his audit notes.

(4) The proper officer may inform the registered person of the discrepancies noticed, if any, as observed in the audit and such person may file his reply and the proper officer shall finalise the findings of the audit after due consideration of the reply filed.

CHAPTER VII

ACCOUNTS AND RECORDS

19. Maintenance of records- (1) Every registered person shall keep and maintain, in addition to the particulars mentioned in sub-section (2) of section 14, the following records and documents at the factory where the manufacture of specified goods is carried out, namely:-

- (a) purchase invoices, bills of entry, or delivery challans in respect of all packing machines installed in the factory;
- (b) lease agreements or rent deeds where machines are obtained on lease or hire;
- (c) records of any modification, repair or alteration made to the machines that may impact their packing speed or capacity;
- (d) electricity bills issued by the distribution company;
- (e) record of receipts and consumption of principal raw materials and packing materials;
- (f) record of the daily production, clearance and closing stock of specified goods;
- (g) record of the generation and disposal of waste or scrap laminates;
- (h) balance sheet and profit and loss account for each financial year; and
- (i) bank statements reflecting payments for machine procurement.

(2) All the records and documents under sub-rule (1) shall be retained for a period of twenty-four months from the end of the financial year to which such records or documents pertain:

Provided that where an appeal, revision, or any other proceeding is pending before any Appellate Authority, Tribunal, or Court, the records of the subject matter of such proceeding shall be retained for a period of one year after the final disposal of such proceeding or for the period specified above, whichever is later.

CHAPTER VIII

COMPOUNDING OF OFFENCES

20. Procedure for compounding of offences. - (1) A registered person may, either before or after the institution of prosecution, make an application in accordance with section 23 of the Act to the proper officer for compounding of an offence.

(2) On receipt of the application, the proper officer shall call for a report from the concerned officer with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for the examination of such application.

(3) The proper officer, after taking into account the contents of the said application, may, by order, either allow the application and grant him immunity from prosecution or reject such application within ninety days from the receipt of the application:

Provided that the application shall not be rejected unless an opportunity has been given to the applicant to be heard and the grounds of such rejection are mentioned in the order.

(4) Where the application has been allowed under sub-rule (3), the proper officer shall pass an order, specifying the compounding amount which shall be determined as per the Tables below, namely:-

TABLE A

Sl. No.	Offence	Compounding amount if offence is punishable under clause (a) of sub- section (1) of section 19	Compounding amount if offence is punishable under clause (b) of sub- section (1) of section 19	Compounding amount if offence is punishable under clause (c) of sub- section (1) of section 19
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Offence specified under section 18(1)(a) of the Act	Up to seventy-five per cent. of the amount of cess evaded or the	Up to sixty per cent. of the amount of cess evaded or the amount of refund of	fifty per cent. of the amount of cess evaded or

2	Offence specified under section 18(1)(b) of the Act	amount of refund of cess wrongly taken, subject to minimum of fifty per cent. of such amount of cess evaded or the amount of abatement/refund of cess wrongly taken.	cess wrongly taken, subject to minimum of fifty per cent. of such amount of cess evaded or the amount of refund of cess wrongly taken.	the amount of refund of cess wrongly taken.
3	Offence specified under section 18(1)(c) of the Act			
4	Offence specified under section 18(1)(d) of the Act			

TABLE B

Sl. No.	Offence	Compounding Amount
		(3)
1	Offence specified under section 18(1)(f) of the Act	
2	Offence specified under section 18(1)(i) of the Act	Ten Thousand Rupees or Fifty percent of the cess involved, whichever is higher
3	Offence specified under section 18(2) of the Act	

(5) Where the offences committed by the person fall under more than one category specified in the Table under sub-rule (4), the compounding amount, in such a case, shall be the amount determined for the offence for which a higher compounding amount has been specified.

(6) The application shall not be allowed unless the cess, interest and penalty liable to be paid have been paid for the case for which the application has been made.

(7) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the order under sub-rule (3) allowing the compounding of offences, pay the compounding amount as ordered by the proper officer and shall furnish the proof of such payment to him.

(8) In case the applicant fails to pay the compounding amount within the period specified in sub-rule (7), the order made under sub-rule (3) shall be vitiated and void.

(9) An immunity granted to a person under sub-rule (3) may, at any time, be withdrawn by the proper officer, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any particulars or had given false evidence, and thereupon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and the provisions of the Act shall apply as if no such immunity had been granted.

CHAPTER IX

SEIZURE OF GOODS

21. Bond and security for release of seized goods or machines. - (1) The goods or packing machines seized under section 24 of the Act may be released on a provisional basis upon execution of a bond for the value of such goods or machines in FORM HSNS BND-01 and furnishing of a security in the form of a bank guarantee equivalent to the amount of applicable cess, interest, and penalty payable.

(2) In case the person to whom the specified goods or machines were released provisionally fails to produce the said goods or machines at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the cess, interest, penalty, and fine, if any, payable in respect of such goods or machines.

22. Procedure in respect of seized goods of perishable nature. - (1) Where the specified goods or machines are seized under section 24, and if the registered person pays an amount equivalent to the market price of the specified goods or machines, or the amount of cess, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or, as the case may be, machines shall be released forthwith, by an order, on proof of payment.

(2) Where the registered person fails to pay the amount referred to in sub-rule (1) in respect of the said goods or machines, the proper officer may dispose of such goods or machines and the amount realised thereby shall be adjusted against the cess, interest, penalty, or any other amount payable in respect of such goods or things.

CHAPTER X

APPEALS AND REVISION

23. Manner of filing appeals to appellate authority. - (1) An appeal to the appellate authority under sub-sections (1) and (2) of section 29 shall be filed in FORM HSNS APL-01 along with the relevant documents, including grounds of appeal and the decision or order appealed against.

(2) An acknowledgement indicating the appeal number shall be issued to the appellant immediately by the appellate authority or an officer authorised by him in this behalf and the date of issue of the acknowledgment shall be considered as the date of filing of the appeal:

Provided that where the self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of the appeal, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of the appeal.

Explanation.- For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

24. Appeal to appellate authority. - (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under the Act may appeal to the Commissioner (Appeals) within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.

(2) An officer directed under sub-section (2) of section 29 of the Act to appeal against any decision or order passed under this Act may appeal to the Commissioner (Appeals) within six months from the date of communication of the said decision or order.

25. Notice to person and order of revisional authority in case of revision. - (1) Where the revisional authority decides to pass an order in revision under section 28 of the Act which is likely to affect the person adversely, the revisional authority shall serve on him a notice and shall give him a reasonable opportunity of being heard.

(2) The revisional authority shall, along with its order under sub-section (1) of section 28, issue a summary of the order clearly indicating the final amount of demand confirmed.

26. Withdrawal of appeal. - The appellant may, at any time before the issuance of the order under sub-section (2) of section 29 of the Act, in respect of any appeal filed, file an application for withdrawal of the said appeal:

Provided that where the acknowledgment has been issued, the withdrawal of the said appeal shall be subject to the approval of the appellate authority and such application for withdrawal of the appeal shall be decided by the appellate authority within seven days of filing of such application:

Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the period specified in sub-section (1) or sub-section (2) of section 29 of the Act, as the case may be.

27. Appeal to Appellate Tribunal. - (1) An appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 30 of the Act shall be filed in FORM HSNS APL-02, along with the relevant documents, including a memorandum of cross-objections and the decision or order appealed against.

(2) An acknowledgement, indicating appeal number, shall be issued to the appellant immediately and the date of issue of the acknowledgement shall be considered as the date of filing of the appeal:

Provided that where the self-certified copy of the decision or order is not submitted within a period of seven days from the date of filing of the appeal, the date of submission of such copy shall be considered as the date of filing of the appeal.

Explanation. - For the purposes of this rule, the appeal shall be treated as filed only when the final acknowledgement, indicating the appeal number, is issued.

28. Production of additional evidence before appellate authority or Appellate Tribunal. - (1) The appellant shall not be allowed to produce before the appellate authority or the Appellate Tribunal any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceedings before the adjudicating authority or, as the case may be, the appellate authority, except in the following circumstances, namely: -

- (a) where the adjudicating authority or, as the case may be, the appellate authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or
- (b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority or, as the case may be, the appellate authority; or
- (c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority or, as the case may be, the appellate authority any evidence which is relevant to any ground of appeal; or
- (d) where the adjudicating authority or, as the case may be, the Appellate Authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.
- (2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the appellate authority or the Appellate Tribunal records in writing the reasons for its admission.
- (3) The appellate authority or the Appellate Tribunal shall not take any evidence produced under sub-rule (1) unless the adjudicating authority or an officer authorised in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity-
- (a) to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant; or
 - (b) to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant under sub-rule (1).
- (4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the appellate authority or the Appellate Tribunal to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable it to dispose of the appeal.

29. Withdrawal of appeal filed before Appellate Tribunal: - The appellant may, at any time before the issuance of the order under sub-section (2) of section 30 of the Act, in respect of any appeal filed, file an application for withdrawal of the said appeal:

Provided that where the acknowledgment has been issued, the withdrawal of the said appeal would be subject to the approval of the Appellate Tribunal and such application for withdrawal of the appeal shall be decided by the Appellate Tribunal within fifteen days of filing of such application:

Provided further that any fresh appeal filed by the appellant pursuant to such withdrawal shall be filed within the period specified in sub-section (1) of section 30 of the Act.

30. Authorised representative. - For the purposes of clause (c) of sub-section (2) of section 31 of the Act, no person shall be eligible to appear as an authorised representative unless he—

- (a) is a Chartered Accountant holding a valid certificate of practice; or
- (b) is a Company Secretary holding a valid certificate of practice; or
- (c) is a Cost Accountant holding a valid certificate of practice; or
- (d) is a retired officer of the Central Government or any State Government or Union territory who, during his service under the Government, had worked in a post not below the rank of a Group-B Gazetted officer for a period of not less than two years:

Provided that such retired officer shall not be entitled to appear before any proceedings under this Act for a period of one year from the date of his superannuation or resignation.

31. Disqualification for misconduct of an authorised representative. - Where an authorised representative is found, upon an enquiry into the matter, guilty of misconduct in connection with any proceedings under the Act, the Commissioner may, after providing him an opportunity of being heard, disqualify him from appearing as an authorised representative.

CHAPTER XI

MISCELLANEOUS

32. Penalty for contravention.- If it is found that the taxable person owns, operates or is in control of any machine or process for the purpose of manufacture or production of the specified goods without getting registered with the proper officer, then, the cess liability of such taxable person shall be determined on the basis of number of machines found available in the factory or presence of manual process unit, as the case may be, and unless evidence to the contrary is provided to the satisfaction of the proper officer, such machines or manual process unit shall be deemed to have been in operation, from 1st day of February, 2026, or the last two years whichever is later, for the purposes of rule 10 and dealt with accordingly.

33. Installation of Closed-Circuit Television system. - (1) Every registered person engaged in the manufacture of the specified goods shall install a functional Closed-Circuit Television (CCTV) surveillance system covering all areas where the packing machines are installed or the manual process units are located within the factory.

(2) All recorded footage shall be preserved for a minimum period of twenty-four months from the date of recording.

(3) The registered person shall, on written requisition, furnish the recorded CCTV footage to the proper officer or any officer authorised by him, within forty-eight hours of the receipt of such requisition.

34. Removal of machines.- (1) In case a registered person does not intend to further operate an installed machine, he shall intimate the same to the proper officer, at least three working days in advance from the date so intended, whereupon the same shall be uninstalled by the said proper officer, who shall supervise the removal of the machine from the factory:

Provided that in case it is not feasible to remove such a machine from the factory, it shall be sealed by the proper officer in such a manner that it cannot be operated.

[F. No. S-25014/2/2025-DS(ST)-DOR(Pt.5)]

MUTHURAMAN C, Under Secy.

FORM HSNS REG-01

[see rule 4(1)]

Application for Registration

Part - A (Preliminary details) as per Table below:

(PAN to be verified online and OTP before proceeding to Part-B)

Table I

Sl. No.	Description	Input
(1)	(2)	(3)
1.	Legal Name of the Business (As per PAN) *	
2.	Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) (if any) (Enter GSTIN of the place where machines are located at Principal Place of Business/ Additional Place of Business)	
3.	Central Excise Registration Number (if any)	
4.	Email Address*	
5.	Mobile Number*	

1, 4 & 5*- Mandatory Fields

Part - B (Business and process details) as per Table below:**I. BUSINESS DETAILS****Table**

Sl. No.	Description	Input
(1)	(2)	(3)
1.	Trade Name (if any)	
2.	Constitution of Business (Select Appropriate)	<input type="checkbox"/> Proprietorship <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Private Limited Company <input type="checkbox"/> Public Limited Company <input type="checkbox"/> LLP <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Others
3.	Date of Commencement of Business	[DD/MM/YYYY]
4.	Date on which liability to register arises	[DD/MM/YYYY]

2. ADDRESS OF MANUFACTURING PREMISES (FACTORY) AS PER TABLE BELOW:**Table**

Sl. No.	Description	Input
(1)	(2)	(3)
1.	Address Details	
	Building No./ Flat No.	
	Name of Premises/Building	
	Road/Street/Lane	
	City/District	
	State/Union Territory [Drop Down]	
	PIN Code	
	Boundaries of the premises to be Registered (North/South/East/West)	

2.	Jurisdiction (Commissionerate/Division/Range) [Drop Down]	
3.	Nature of Possession of Premises	<input type="checkbox"/> Owned <input type="checkbox"/> Leased <input type="checkbox"/> Rented <input type="checkbox"/> Consent <input type="checkbox"/> Shared

3. CATEGORIZATION OF TAXABLE ACTIVITY AS PER TABLE BELOW:

Based on section 4 and Schedule II of the HSNS Cess Act, 2025

Table

Sl. No.	Description	Input
(1)	(2)	(3)
1.	Category of taxable person	<input type="checkbox"/> Wholly or partly machine-based process (Table 1 of Schedule II of the Act) <input type="checkbox"/> Wholly Manual Process (Table 2 of Schedule II of the Act)
2.	Nature of control over machines/process	<input type="checkbox"/> Owner <input type="checkbox"/> Lessee <input type="checkbox"/> Operator/Controller <input type="checkbox"/> Job Worker
3.	Description of specified goods (As per Schedule I)	<input type="checkbox"/> Pan Masala (2106 90 20) <input type="checkbox"/> Other Notified Goods

4. DETAILS OF PROMOTER /PARTNERS / DIRECTORS AS PER TABLE BELOW:

Table

Sl. No.	Description	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Personal Details	
	Name of Person	
	Designation (Proprietor/Partner/Director/Karta)	
	Permanent Account Number (PAN)	
	Residential Address	
	Mobile Number & Email	
	<i>Photo Upload</i>	

5. DETAILS OF AUTHORISED SIGNATORY AS PER TABLE BELOW:

Table

Sl. No.	Description	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Personal Details	
	Name of Person	
	Designation (Proprietor/Partner/Director/Karta)	
	Permanent Account Number (PAN)	
	Residential Address	
	Mobile Number & Email	
	<i>Photo Upload</i>	[Upload Button]

6. BANK ACCOUNT DETAILS AS PER TABLE BELOW:

Table

Sl. No.	Description	Input
(1)	(2)	(3)
1.	Bank Account	

	Account Number	[Number]
	Type of account [Current/Savings/CC]	
	IFSC code	[Text]
	Bank name and Branch	[Text]

VERIFICATION

I _____ (Name of authorised signatory) hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. I undertake to comply with the provisions of the **Health Security se National Security Cess Act, 2025** and the rules made thereunder.

Place: _____

Date: _____

Designation: _____

List of Documents to be Uploaded (maximum 5 no. of documents each 2 mb(pdf/jpeg))

1. **Proof of Constitution of business:** (Partnership Deed, Certificate of Incorporation, etc.) (pdf)
2. **Proof of address of premises:** (Property Tax Receipt, Electricity Bill, Rent/Lease Agreement) (pdf)
3. **Photo of Promoters/Partners/Directors (jpeg)**
4. **Proof of bank account:** (Cancelled cheque or first page of passbook) (pdf)
5. **Authorisation letter:** For the authorised signatory (pdf)

FORM HSNS REG-02

[See rule 5(4)]

REGISTRATION CERTIFICATE

1. **Registration Number:** [ABCDE1234FHS001]

2. **Legal Name:** [Name of Sole Proprietor / Company / Partnership / HUF]

3. **Trade Name, if any:** [Trade Name]

4. **Constitution of Business:** [Proprietorship / Partnership / Pvt. Ltd / Public Ltd / LLP / HUF]

5. **Address of Premise (Factory):** [Full Address of the premises where machines/processes are located]

This is to certify that the person whose details are specified above has been registered under the provisions of the Health Security se National Security Cess Act, 2025, having acknowledged that they:

- (i) Owns/possesses/operates/manages/controls the packing machines installed at the above premises; or
- (ii) Undertake the manual process at the above premises;

by which the Specified Goods (as defined in Schedule I of the Act) are manufactured or produced.

6. **Nature of Possession of Premises/Machines:** [Owned / Leased / Rented / Shared / Consent]

7. **Date of Issue of RC :** DD/MM/YYYY

8. Date from which the liability of payment of cess starts : DD/MM/YYYY

9. Jurisdiction Details:

- **Commissionerate** : [Code - Name]
- **Division** : [Code - Name]
- **Range** : [Code - Name]

Conditions:

1. This Registration Certificate is valid only for the premises and purposes specified in the application
2. The registration certificate is not transferable.
3. No corrections in the certificate will be valid unless the request for any correction/change is applied for and the same is acknowledged.
4. This certificate shall remain valid till the Registrant carries on the activity for which it has been issued or it is cancelled.
5. The grant of this certificate shall be without prejudice to the rights of any other person (s) over the registered premises or purpose to which such person may be lawfully entitled.

Note:

1. This is a system-generated copy of the Registration certificate. Hence, there is no need for the signature/ stamp of the officer on it.
2. The Registration is subject to post facto verification of the details by the proper officer.

FORM HSNS DEC- 01

[See rule 9]

Declaration of machines installed or processes undertaken for the manufacture or production of the specified goods

1. Basic information as per Table below:

Table

1.	HSNS Registration No.	_____
2.	Legal Name	
3.	Trade Name, if any	
4.	Address of the Factory / Premises	
5.	GSTIN	
6.	Date of Filing	DD / MM / YYYY

2. Declaration type (Tick one)

- Initial declaration (Section 9(1))
 Change in declaration (Section 9(2) - Change in parameters)
 New Installation / Addition / Commencement of operation of any machine or process (Section 9(3))

3. Details of specified goods manufactured as per Table below:

(Refer to Schedule I of the Act) (To be fetched from Master)

Table

Sl. No.	Chapter/ Heading/ Sub-heading/ Tariff item	Description of goods (e.g., Pan masala)	Brand Name(s)
1			
2			

4. Details of machines installed (For Machine-based processes) as per Table A or B below:

(Relevant for computation of cess under Table I of Schedule II of the Act)

Table A: Existing machines

Table B: Newly Added Machines (If applicable)

5. Change in details [For declaration under section 9(2)] as per Table below:

(Enter the serial No. of the machine and the previously given details in table 4 will be auto-fetched. The details in the rows where parameters have been changed may be edited)

Table

6. Details of the intimation of the machines furnished to other departments as per Table below:

Table

Sl. No.	Date of intimation	Name of Govt. department / any other agency or organisation.	Details of declaration (Proof to be uploaded as pdf)
(1)	(2)	(3)	(4)

7. Disposal of packing machines (To be filed as an amendment), as per Table below:

Table

Sl. No.	Registration No. of the machine	Date of disposal	Reason of disposal
(1)	(2)	(3)	(4)

8. Details of manual processes (If applicable), as per Table below:

(Relevant for computation of Cess under Table 2 of Schedule II of the Act)

Note: This section applies only if specified goods are manufactured wholly by manual process without the aid of any machine as specified in section 5(5) of the Act.

Table

Sl. No.	Description of Process	Location / Section within Factory	Nature of Packing (e.g., Pouch, Tin, Container)	Weight of Specified Goods Packed (in Grams)	Average Daily Production Capacity (Units)	Date of Commencement of Process
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						

9. Documents uploaded (Maximum 5 documents, 2mb each (pdf))

1. Technical specification sheet of machines (Manufacturer's manual)
2. Certificate from Chartered Engineer (certifying speed and capacity of the machines)
3. Layout plan of the factory indicating machine locations
4. Other Department Intimation Declaration
5. Others: _____

10. Verification

I, _____ (Name of Authorised Signatory), son/daughter of _____, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge

and belief and nothing has been concealed therefrom. I understand that any false declaration is liable for penal action under Chapter VI of the Health Security se National Security Cess Act, 2025.

Place: _____

Date: _____

Name: _____

Designation: _____

FORM HSNS CE-01

[See rule 10]

Certificate of Chartered Engineer

1. Details of the taxable person as per Table below:

Table

1. HSNS Registration No.	_____
2. Legal Name	_____
3. Trade Name	_____
4. Address of Factory	_____

2. Details of machines examined ,as per Table below:

(To be filled by the Chartered Engineer after physical verification of the machines installed at the factory premises)

Table

Sl. No .	Mak e / Mod el	Name of Manufa cture r	Mach ine No. (Seri al No.)	Mach ine Reg. No. (If alrea dy assig ned by Syste m)	No. of Trac ks	Gear Box Ratio of the Mach ine	Revolu tion Per Minut e of main motor	Num ber of Funn els	Natu re of Packi ng (Pou ch/ Tin/ etc.)	Weig ht of Pack age (in Gra ms)	Packi ng Capac ity of EAC H Track (Pack ages per minut e)	Total Packin g Capac ity of the Machin e (Maxim um Rated Speed) (Packa ges per minute)	Electrici ty Consum ption Capac ity (KWH)	Rema rks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														

3. Certification

I hereby certify that:

- I have personally examined the _____ (number) machines listed in the table above at the factory premises of the _____ on _____ (Date of Inspection).

2. The details furnished in the table above, specifically the **maximum rated speed** (Column 10) and **weight of package** (Column (8)), are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the technical specifications and physical verification of the machines.
3. I have verified that the machines are capable of the production speeds declared herein.
4. Nothing has been concealed or misrepresented regarding the capacity of the machines which would impact the liability of cess under the Health Security se National Security Cess Act, 2025.

Date: _____

Place: _____

(Signature of Chartered Engineer)

Name: _____

Membership / Registration No.: _____

Address: _____

Mobile No.: _____

Email ID: _____

Instructions for the Chartered Engineer:

1. **Column 10 (Nature of packing):** Specify clearly if the machine packs in pouches, tins or containers, as the definition of "Weight" in Section 2(s) of the Act applies to these specific containers.
2. **Column 13 (Total packing capacity):** This is the **maximum rated speed**. It should be calculated as: (Capacity per track) × (Number of tracks). This figure determines the Cess slab in Schedule II of the Act.
3. **Modifications:** If a machine has been modified to alter its speed or capacity, the certificate must reflect the *current* actual maximum capacity, not just the manufacturer's original specification.

FORM HSNS PMT-01

[see rule 13(1)]

DRAFT CHALLAN FORMAT

1. Taxpayer details as per Table below

Table

Registration Number		e-mail address	
Mobile No.		Taxpayer Name	
Address			

2. Challan identification as per Table below:

Table

CTIN			
CTIN date		CTIN expiry date	

3. Jurisdiction details as per Table below:

Table

Commissionerate	
Commissionerate code	

Division	
Division Code	
Range	
Range Code	

4. Duty payment details as per Table below:**Table**

Duty Heads	Accounting Code	Accounting Code Type	Amount
HSNS CESS			
INTEREST			
PENALTY			
Total Amount			[Auto Calc]

Total challan amount (in words):

Note: Separate Fields for Interest & Penalty to be included.

FORM HSNS RET-01**[See rule 14(1)]**

Monthly return for payment of Health Security se National Security Cess

1. Basic information as per Table below:**Table**

Sl. No.	HSNS Registration No.	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	Legal Name	
2.	Trade Name	
3.	GSTIN	
4.	Return Period	Month: _____ Year: _____
5.	Date of Filing	

2. Details of cess payable for the month (Machine-based) as per the Table below:

(Relevant for computation of cess under section 5(2) read with Table I of Schedule II of the Act)

Note: The cess is calculated based on the maximum rated speed and weight of the specified goods (e.g., Pan Masala) as declared in Form HSNSDEC-I.**Table**

Sl. No.	Machine Registration No. [A dropdown box containing registered No. of machines will be shown in the rows]	Machine Status			Applicable Monthly Cess Rate (As per Schedule II) (Rs.)	Total Cess Payable (Rs.)
		Working Status for the Month (Yes/No)	Date of Sealing [DD/MM/YYYY]	Date of Desealing [DD/MM/YYYY]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
...						
Total						(A)

3. Details of cess payable for the month (Wholly manual process) as per Table below:

(Relevant for computation of cess under section 5(4) read with Table 2 of Schedule II of the Act)

Table

Whether the manual process is undertaken Yes/No	Applicable monthly cess payable (Fixed)
(1)	(2)
Total	(B)

4A. Details of abatement claimed as per order issued in previous month (Machine-based) as per the Table below:

Table

Sl. No.	Machine Registration No. (System Generated) [A dropdown box containing the registered No. of machines will be shown in the rows]	Details of Abatement Order Issued in the previous month (Order No. and Date)	Amount ordered to be abated by the proper officer under rule 15(3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1			
2			
...			
Total			(C1)

4B. Details of abatement (Manual process) as per Table below:**Table**

Details of Abatement Order Issued in the previous month (Order No. and Date)	Amount ordered to be abated by the proper officer under rule 15(3)
(1)	(2)
	(C2)

5. Summary of liability and payment as per Table below:**Table**

Sl. No.	Description	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1.	Total cess payable on machines (A)	
2.	Total cess payable on manual process (B)	
3.	Less: Net abatement claimed (C=C1+C2)	
4.	Net cess payable (D=A+B-C)	
5.	Interest for delayed payment (if applicable as per section 17 of the Act) (E)	
6.	Penalty (if applicable) (F)	
7.	Total Amount payable (G=D+E+F)	

6. Cess payment details as per Table below:**Table**

Sl. No.	Challan No. (CIN)	Date of Payment	Bank Name	Amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

7. Verification

I, _____ (Name of Authorized Signatory), son/daughter of _____, hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom. I understand that the Cess has been self-assessed as per the capacity determined under section 5 of the Act.

Place: _____

Date: _____

Name: _____

Designation: _____

Instructions for filling FORM HSNSRET-I:

Instructions for filling FORM HSNSRET-I

1. Return Period (Table in Sl. No. 1): The monthly return is to be filed by the 20th of the following month.

Example: If you are filing the return for the month of October 2026, you must submit the same by 20th November and mention 'October 2026' for the 'Return Period' in row No. 5 of the Table in Sl. No. 1.

2. Machine Details (Table in Sl. No. 2): The details in the Table should be for the return period.

- Machine Registration No: Select the unique Machine ID generated in Form HSNSDEC-I (Declaration Form).
- Applicable Rate: Refer to Schedule II of the Act. Determine the applicable tax slab based on the machine's Maximum Rated Speed and the Weight of the pouch/tin/container.
- Date of Sealing/Desealing: Enter specific dates only if the machine was sealed or de-sealed by the proper officer during the return period.

3. Abatement Claim (Table in Sl. No. 4A & 4B): Use this section to report abatement amounts that are being adjusted in the return period.

Example: If you are filing the return for the month of October 2026, you will mention the details of the abatement order received in September. The period of abatement shall be as specified in the abatement order which may be July/August.

4. The abated amount should be adjusted/subtracted from the amount of cess payable for the return period. The same shall be specified in the table in Sl. No. 5 (row No. 3)

Example: If you are filing the return for the month of October 2026, you will mention the details of the abatement order received in September. The period of abatement shall be as specified in the abatement order which may be July/August. The amount ordered to be abated should be adjusted/subtracted from the total cess payable for the return period (i.e., October, 2026) to obtain the net amount of cess payable for the return period (i.e., October, 2026).

5. Payment Details (Table in Sl. No. 6): Enter the details of the specific Challan(s) used to discharge the Cess liability for the return period. If you are filing the return for the month of October 2026, the payment made by 7th October should be specified.

FORM HSNS BND-01

[See rule 21(1)]

BOND FOR RELEASE OF SEIZED GOODS OR PACKING MACHINES

I/We.....of.....he
reinafter called "obligor(s)" am/are held and firmly bound to the President of India (hereinafter called "the President") in the sum of.....rupees to be paid to the President for which payment will be made. I/We jointly and severally bind myself/ourselves and my/our heirs/executors/administrators/legal representatives/successors and assigns by these presents; dated this.....day of.....

WHEREAS in accordance with the provisions of sub-section (8) of section 24 of the Health Security se National Security Cess Act, 2025, the specified goods / packing machines have been seized vide order number.....dated.....having valuerupees involving an amount of cess ofrupees.

On my/our request, the specified goods / packing machines have been permitted to be released provisionally by the proper officer on execution of the bond of valuerupees and a security ofrupees against which cash/bank guarantee has been furnished in favour of the President; and

WHEREAS I/We undertake to produce the said specified goods / packing machines released provisionally to me/us as and when required by the Proper Officer duly authorized under the Act.

And if all cess, interest, penalty, fine and other lawful charges demanded by the proper officer are duly paid within ten days of the date of demand thereof being made in writing by the said proper officer, this obligation shall be void.

OTHERWISE and on breach or failure in the performance of any part of this condition, the same shall be in full force:

AND the President shall, at his option, be competent to make good all the losses and damages from the amount of the security deposit or by endorsing his rights under the above-written bond or both;

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed on the day hereinbefore written by the obligor(s).

Signature(s) of obligor(s).

Date:

Place:

Witnesses:

(1) Name and Address:

.....

Signature:

(2) Name and Address:

.....

Signature:

Accepted by me this.....day of (month).....(year)
.....(designation of officer) for and on behalf of the President of India.

(Signature of the Proper Officer)

Form HSNS APL 01

(see rule 23)

Form of appeal to the appellate authority under section 29 of the Act

1. No.of.....20....
2. Name and address of the appellant.
3. Designation and address of the officer passing the decision or order appealed against and the date of the decision or order.
4. Date of communication of the decision or order appealed against to the appellant.
5. Address to which notices may be sent to the appellant.
6. (i) Description and classification of specified goods
 - (ii) Period of dispute
 - (iii) Amount of cess, if any, demanded for the period mentioned in item (ii)
 - (iv) Amount of abatement/refund if any claimed for the period mentioned in item (i)
 - (v) Amount of fine imposed.
 - (vi) Amount of penalty imposed
 - (vii) Market value of seized goods.
7. Whether cess or penalty or both is deposited; if not whether any application for dispensing with such deposit has been made. (A copy of the challan under which the deposit is made shall be furnished).
8. Whether the appellant wishes to be heard in person?

9. Reliefs claimed in appeal.
10. Statement of facts.....
11. Grounds of appeal.....

Signature of the
Authorise Representative, if any

Signature of the applicant

Verification

I.....the appellant,do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, theday of.....

Place.....

Date.....

Signature of the Authorised

Signature of the applicant. Representative, if any

Note.- (1) The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the appellant in accordance with the provisions of rule 23.

(2) The form of appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

Form HSNS APL 02

[See rule 27]

Form of appeal to Appellate Tribunal under section 61 of the Act

IN THE CUSTOMS, EXCISE AND SERVICE TAX APPELLATE TRIBUNAL

APPEAL No..... of20...

.....Appellant

Vs

.....Respondent

- 1 (i) Registration No.
(ii) Jurisdictional Range/ Division / Commissionerate / Zone
(iii) E-mail Address
(iv) Phone No.

2. The designation and address of the authority passing the order appealed against.

3. Number and date of the order appealed against.

Dated

4. Date of communication of a copy of the order appealed against.

5. State or Union territory and the Commissionerate in which the order or decision of assessment, penalty, fine was made.
6. If the order appealed against relates to more than one Commissionerate, mention the names of all the Commissionerates, so far as it relates to the appellant.
7. Designation and address of the adjudicating authority in case where the order appealed against is an order of the Commissioner (Appeals).
8. Address to which notices may be sent to the appellant
9. Address to which notices may be sent to the respondent.
10. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to computation of cess.
11. Description and classification of goods
12. Period of dispute.
13. (i) Amount of cess, if any, demanded for the period of dispute .
 - (ii) Amount of interest involved up to the date of the order appealed against.
 - (iii) Amount of refund, if any, rejected or disallowed for the period of dispute
 - (iv) Amount of fine imposed.
 - (v) Amount of penalty imposed.
 - (vi) Market value of seized goods.
14. (i) Amount of cess or fine or penalty or interest deposited. If so, inform the amount deposited under each head in the box below. (A copy of the challan under which the deposit is made shall be uploaded)

Cess	Fine	Penalty	Interest

- (ii) If not, whether any application for dispensing with such deposit has been made
15. If the appeal is against an Order-in-Appeal of Commissioner (Appeals), the number of Orders-in-Original covered by the said Order-in-Appeal.
16. Whether the respondent has also filed appeal against the order against which this appeal is made?
17. If answer to serial number 16 above is 'yes', upload the details of the appeal.
18. Whether the appellant wishes to be heard in person?
19. Reliefs claimed in appeal.
20. Statement of facts
21. Grounds of appeal

Signature of the Authorised

Signature of the applicant.

Representative, if any

Verification

I, the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the day of 20.....

Signature of the Authorised
Representative, if any

Signature of the applicant.

Notes.- (1) The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the appellant in accordance with rule 27.

(2) The appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in accompanied by a certified copy of the order appealed against.